

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011—फाल्गुन 20, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. ई-5-577-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अशोक कुमार शाह, आयएएस, आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 21 फरवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक उन्नचालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अशोक कुमार शाह की अवकाश की अवधि में श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से,

आगामी आदेश तक, आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक कुमार शाह द्वारा आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरुण कुमार भट्ट, आयुक्त-भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस, सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2011 तक छः दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. एस. तोमर, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. एफ-10-29-2010-तेईस-योआसां.—जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 10 (i) (iii) के तहत राज्य शासन एतदद्वारा निम्नांकित विभागों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी उनके क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं के लिये सूचनादाता के रूप में घोषित करता है। ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अथवा मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से प्रस्तुत/सूचित करेंगे।

क्रमांक	विभाग	कार्यकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	आशा कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षित दाईं।
2	स्कूल शिक्षा विभाग	प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. एफ-03-01-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र—स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

निमस्तर इन्डौर संभाग	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1 श्री प्रदीप बांगड़े		शिक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
रीवा संभाग					

2	ओंकारनाथ त्रिपाठी	मैट्रन
भोपाल संभाग		
3	ऋषि दुबे	मैट्रन
4	एजाज अहमद सिद्दकी	मैट्रन (कार्यपालिक)
सागर संभाग		
5	नजीर अली	हाउस मास्टर
6	कुवल भूषण बिलबाल	मैट्रन

क्र. एफ-03-02-2011-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

**उच्चस्तर
जबलपुर संभाग**

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजकुमार चौबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

इन्दौर संभाग

2	श्री एच. सी. गेहलोते	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री राजकुमार पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्रीमती किरण वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्रीमती पूर्णिमा सक्सेना	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्रीमती पूजा धार्मे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक (संत्रेय).
7	श्री एन. आर. गोरेठिं	वाणिज्यिक कर निरीक्षक (संत्रेय).
8	मो. जहीर कुरेशी	कराधान सहायक

**निम्नस्तर
जबलपुर संभाग**

1	श्री विजय कुमार पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	श्री अनुपम शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	कुमारी पूनम श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

इन्दौर संभाग

4	श्रीमती चित्रा भोंसले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्री विजय सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री अभिषेक कौशल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	श्री नाथूलाल राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	श्री मंगलम सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	श्री सुरेन्द्र सिंह चण्डावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्री मुकेश पंचौलियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री योगेश राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री जयंत गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्री बालचन्द्र कारपेन्टर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	श्री तरण सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्री जॉनी तोतलानी	कराधान सहायक
16	श्री संजय विजयवर्गीय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री विश्वास रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	श्री हरसुखलाल पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
19	श्री जगदीश चन्द्र राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
20	श्री सुभाष चन्द्र परिहार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्री विजय कुमार जयसवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	श्री क्रितेश कुमार शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 28) राज्य शासन, श्री अभिषेक सोनी, पुत्र श्री फूलचंद सोनी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 25 सितम्बर 1979 है.

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 35) राज्य शासन, श्री गिरजेश कुमार सनाडेया पुत्र श्री भगवान दास

सनोडिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 09 सितम्बर 1975 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 38) राज्य शासन, श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 7 नवम्बर 1978 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 42) राज्य शासन, श्री नवनीत सिंह यादव पुत्र श्री चन्द्रशेखर यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 29 दिसम्बर 1978 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 48) राज्य शासन, श्री प्रकाश कुमार उड़िके पुत्र श्री भैयालाल उड़िके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1974 है।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 11) राज्य शासन, सुश्री तबस्सुम खान, पुत्री श्री जकी अनवर खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1984 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 15) राज्य शासन, श्री पंकज शर्मा, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 27 मई 1977 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 18) राज्य शासन, श्री मयंक कुमार शुक्ला, पुत्र श्री राजेन्द्र बाबू शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1984 है।

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाएं दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम

3(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाएं गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता हैः—

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अन्तर्गत होगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनिल कुमार ठाकरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नरसिंहपुर।	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर।
2	श्री विमल कुमार जैन सिंघर्ड, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया।	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर।
3	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, (जू.) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी।	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर।

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2011

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतदद्वारा, सिविल जिला जबलपुर, कटनी, बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला, शहडोल, सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डौरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है।

संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इन्दौर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है।

F. N. 1-5-96-XXI-B-(One).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Indore for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Indore, Bhopal, Raisen, Sehore, Dewas, Shajapur, Dhar, East Nimar Khandwa, Rajgarh, Jhabua, Mandsaur, Neemach, Ratlam, Ujjain, Mandleshwar, Gwalior, Bhind, Datia, Guna, Morena, Shivpuri, Vidisha, Barwani, Burhanpur, Ashoknagar, Alirazpur, Sheopur and Harda.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब (एक).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतदद्वारा, सिविल जिला इन्दौर, भोपाल, रायसेन, सीहोर, देवास, शाजापुर, धार, पूर्वी मिमांड खण्डवा, राजगढ़, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, मण्डलेश्वर, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, गुना, मुरैना, शिवपुरी, विदिशा, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, श्योपुर तथा हरदा की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है।

F. N. 1-5-96-XXI-B-(One).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Jabalpur for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Jabalpur, Katni, Balaghat, Betul, Chhindwara, Tikamgarh, Damoh, Hoshangabad, Chhatarpur, Narsingpur, Rewa, Seoni, Mandla, Shahdol, Sidhi, Sagar, Satna, Panna, Dindori, Umaria, Anuppur and Singrauli.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

फा. क्रमांक 17 (ई) 4-2001-इकीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेन्द्र चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 खण्डवा की सेवाएं, उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, वेलफेयर कमिशनर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2011

फा. क्र. 1 (बी)-1-05-इकीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री बलवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगन्नाथ ठाकुर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, खुरई, जिला सागर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. एफ-3-01-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-01-2011-बत्तीस, दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यावेर निमानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

विकास योजना की कण्डिका 6.7.2 में निर्दिष्ट प्रावधान

उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान

(1)

(2)

6.7.2—आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड:

सुनियोजित शहरी विकास हेतु भूखण्डीय विकास एवं भूखण्डों पर निर्मित आवासीय विकास हेतु अभिन्यासों का न्यूनतम क्षेत्रफल 8.00 हेक्टर निर्धारित किया गया है तथा युप हाउसिंग हेतु न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल 2.00 हेक्टर रहेगा तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा। आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे।

6.7.2—आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड:

भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/आर्पटमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ-23-35/32-1, दिनांक 15 जुलाई 2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23-12-2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा। आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे।

2. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ-3-95-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-95-2009-बत्तीस, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित दमोह विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरै निम्नानुसार हैः—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दमोह खास	1157/1, 1157/2, 1145/1ख/1, 1145/1ख/2.	14.767	आमोद-प्रमोद पुंजक एवं मेला मैदान.	आवासीय
		1145/1क/2, 1145/1क/1		यातायात पुंजक एवं मेला मैदान.	आवासीय (यातायात पुंजक को यथावत रखते हुए).
		1145/1छ/2		कृषि, मार्ग एवं मेला मैदान.	आवासीय (मार्ग को यथावत रखते हुये)
		1145/1छ/1		मेला मैदान, यातायात पुंजक, मार्ग एवं कृषि.	आवासीय (यातायात पुंजक एवं मार्ग को छोड़कर).
		1145/1घ, 1155/1		कृषि एवं मार्ग	आवासीय (मार्ग को छोड़कर)
		1155/2		कृषि मार्ग एवं आमोद- प्रमोद पुंजक.	आवासीय (मार्ग को छोड़कर)
		योग . .	<u>14.767 हेक्टेयर</u>		

2. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 26 फरवरी 2011

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ग्वालियर

क्र. 527-सड़क-सुरक्षा-2011.—मैं, एस. बी. सिंह, आयुक्त एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 की नियम 204 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संलग्न परिशिष्ट में अंकित पोहरी रोड बस स्टेण्ड शिवपुरी, जिला शिवपुरी को यात्री बसों के लिए बस स्टेण्ड की घोषणा करता हूँ।

ग्राम मनियर सर्वे नं.—169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

क्षेत्रफल—2.787 हेक्टेयर

चर्तुसीमा—

1. उत्तर—पोहरी रोड
2. दक्षिण—शासकीय भूमि (तालाब)
3. पूर्व—आम रास्ता मनियर को (बाद में भूमि प्रायवेट)
4. पश्चिम—कृषि भूमि प्रायवेट
5. स्वामित्व—नगरपालिका परिषद् शिवपुरी
6. बस स्टेण्ड हेतु सुविधायें—

1. शासकीय बस स्टेण्ड—

- (अ) कवर्ड वेटिंग प्लेटफार्म—636 वर्गमीटर
- (ब) वेटिंग हॉल—12×28 वर्गमीटर
- (स) क्लर्क रूम—10×8 वर्गमीटर
- (द) बुकिंग ऑफिस—3.5×7.5 वर्गमीटर
- (ई) मैनेजर रूम—3.5×4 वर्गमीटर
- (फ) पोर्च—7×6.50 वर्गमीटर
- (ग) रेस्टोरेंट—100 वर्गमीटर
- (ह) 84 दुकानें—विभिन्न आकार की

2. प्रायवेट बस स्टेण्ड—

- (अ) वेटिंग हॉल—336 वर्गमीटर
- (ब) कवर्ड प्लेटफार्म—566 वर्गमीटर
- (स) बुकिंग ऑफिस—168 वर्गमीटर
- 3. बस खड़ी होने हेतु स्थल 7990 वर्गमीटर सीमेंट कांक्रीट (मोटरेबिल)
- 4. पार्किंग—3000 वर्गमीटर सी.सी. कृत (मोटरेबिल)
- 5. सी.सी. रोड—2957 वर्गमीटर (मोटरेबिल)
- 6. पेयजल हेतु पृथक से स्थल
- 7. सुलभ कॉम्प्लेक्स—12.50×8.90 वर्गमीटर
 - 1. शौचालय—11 सीट
 - 2. बाथरूम—03
 - 3. यूरिन पॉट—06 पुरुष, 01 महिला

8. प्रायवेट एवं शासकीय बस स्टेण्ड पूर्णतः विद्युतीकरण किया गया है.
9. वाहन को आने एवं जाने हेतु सीमेंट कांक्रीट की सड़क.
10. पार्क 30×20 वर्गमीटर के दो पार्क.
11. लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति—संलग्न है.
12. पुलिस विभाग की अनापत्ति—संलग्न है.
13. पोहरी रोड बस स्टेण्ड का ले-आउट प्लान-संलग्न है.

इस संबंध में किसी व्यक्ति विभाग या संस्था को कोई आपत्ति हो तो आप अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, शिवपुरी के कक्ष में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

एस. बी. सिंह,
आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 67-196-10-तीन-320.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री कमला बाई, महापौर पद की अभ्यर्थी थी। नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क-754-स्था.निर्वा.-10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कमला बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कमला बाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री कमला बाई को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि

“सुश्री कमला बाई को दिए गए नोटिस की तामीली विवरण संबंधित कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है।” उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कमला बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़िके)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 67-196-10-तीन-321.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में श्रीमती अनिता शाक्य, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क-754-स्था.निर्वा.-10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती अनिता शाक्य द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती अनिता शाक्य को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ सूचना में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्रीमती अनिता शाक्य को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि “श्रीमती अनिता शाक्य को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है।” उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनिता शाक्य को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्वाचित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड्के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 5-अ-82-10-11

क्र. 207-भू-अर्जन-2011.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसके पश्चात् “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं। जिसकी ओर से मुख्यत्वार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभ्यांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है।

- कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक ढूब से प्रभावित होने से ग्राम अमलाथा, प.ह.नं. 34, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 40 कुल क्षेत्रफल 12.633 है। भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक

W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम अमलाथा

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मंगत, रमेश, भूरेसिंह, बलीराम, सलीताबाई, कुसुमबाई, चंपाबाई, ग्यारसबाई पिता गोपाल नावड़ा सा.लेपा.	4/2	0.991	नीम-6
2	बाबू पिता भगवान जाति कहार निवासी लेपा	13/1/1/क	0.230	बबूल-11, नीम-5, बैर-2
3	सुरेशचन्द्र पिता श्रीपतराव जाति ब्राह्मण, नि. मण्डलेश्वर	13/2/1 पैकी } 13/2/2 पैकी }	0.324 } 0.105 }	नीम-21, बबूल-20,
4	कमलाबाई बेवा मकुंद, कैलाश, जगदीश, सालकराम, सुखदेव, श्यामा, रुखमणी, इंदिरा, कुंती, दुर्गा पिता मकुंद कहार सा. लेपा.	13/3 पैकी	0.121	बबूल-4
5	नरेंद्रसिंह पिता राजेसिंह, राजपूत सा. देह	18/1 पैकी	0.064	नर्मदा पाईप लाईन-1 800 मीटर.
6	इंदरसिंह पिता भुरेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम	27/4 पैकी	0.200	नीम-4, बबूल-4
7	बिरोजबाई बेवा गजानंद, कैलाशचंद, महेंद्र, तुकाराम, बलीगम, आनंदराम, कड़वीबाई, मंगबाई, प्रमिलाबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण, ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत, प्रेमचंद, राधेश्याम, सकुबाई, सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू, ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी.	44	1.093	बबूल-5, नीम-3, बैर-1
8	भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम	89/1/1 पैकी } 90/1/1 }	0.004	पाईप लाईन 980 मीटर
9	भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम	89/2/1 पैकी } 90/2/1 }	0.008	पाईप लाईन से सिंचाई
10	जसवंतसिंह, विक्रमसिंह, टीमकसिंह पिता रघुनाथसिंह, धनसिंह, सौभागसिंह पिता खुश्यालसिंह, गणपतसिंह पिता दुलेसिंह, राजेसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत सा.देह.	173 पैकी	0.041	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	तुलसीराम, कहैया, दशरथ पिता नरसिंह, अजय, विजय पिता राधोराम, शांताबाई, सुशीलाबाई पिता भगवान, रामसिंह, सरदारसिंह, देवीसिंह, मानसिंह पिता दातारसिंह, मानकुंवरबाई बेवा उमरावसिंह, मुन्नीबाई, लखु, सुभान, सरला पिता उमरावसिंह, सेवंतीबाई बेवा सुरेंद्रसिंह राजपूत नि. ग्रा.	204	पैकी	0.120 बैर-3, नीम-3 आंवला-1
12	कमलसिंह, ईश्वरसिंह, बलरामसिंह, श्यामसिंह पिता रामसिंह, बसुबाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.	208/3	पैकी	0.007 —
13	रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई, मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.	253		0.809 नीम-2
14	बिरोजबाई बेवा गजानंद, कैलाशचंद, महेंद्र, तुकाराम, बलीराम, आनंदराम, कड़वीबाई, मंगुबाई, प्रमिलबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण, ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत, प्रेमचंद, राधेश्याम, सकुबाई, सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी.	257		3.205 नीम-3
15	रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.	264		2.974 महुआ-1
16	नानूराम, आशाबाई, जमुनाबाई, गंगाबाई पिता रामा बलाई सा. देह.	266/2	पैकी	1.174 नीम-3, कुँआ पक्का-1
17	कड़वा, बिंदुबाई, अनारबाई, जीवनबाई, राधाबाई पिता मनोहरसिंह, राजपूत सा. देह.	267/3	पैकी	0.016 —
18	मयाबाई बेवा बापू औंकार, छोगालाल, तोताराम, भागीरथीबाई, दुर्गाबाई पिता बापू, डोडाबाई पिता सीताराम, दयाराम, मोहन पिता रतन, अम्बूबाई पिता विट्ठल सुतार नि. ग्राम.	275		0.210 नीम-5
19	अम्बूबाई पिता विट्ठल, दुलीचंद पिता गोपाल, दौलतबाई बेवा गोपाल, एझ, कैलाश, ग्यारस्या, मुन्ना रमाबाई पिता मदन, बिनाबाई, अन्नपूर्णबाई पिता सखाराम, ऊंकार, छोगालाल, तोताराम, भागीरथ पिता बापू मयाबाई बेवा बापू, डोडाबाई पिता सीताराम, दयाराम, मोहन पिता रतन, प्रभु पिता मांगीलाल, सेवंतीबाई बेवा बाबू, गेंदालाल, मनालाल पिता तुकाराम, सुकईबाई बेवा तुकाराम जाति सुतार सा. देह.	276	पैकी	0.445 आम-1, नीम-2, बड़-1, पीपल-1, बाबूल-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	बाबू पिता नथू प्रभु पिता मांगीलाल, दुलीचंद पिता गोपाल, ऐडू कैलाश, ग्यारस्या, मुन्ना, रमाबाई पिता मदन सुतार नि. ग्रा.	279	0.044	नीम-1
21	नीलाबाई पिता तुकाराम, अ.पा.क. मां. सुकईबाई बेवा तुकाराम कलाबाई, बेवा तुकाराम सुतार सा. देह.	280	0.004	—
22	रुख़दिया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनन्दराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.	289	पैकी	0.037
23	कुंवरबाई बेवा हीरा, बसंत, लोभीराम, गट्या, ताराचंद, कलाबाई पिता हीरा, गोपाल, हुकुम, रमेश, बिनाबाई, बुदीबाई, जीवनबाई पिता कालू, बलाई सा. देह	290	पैकी	0.100
24	सुक्या पिता गंजी बलाई सा. देह	293	पैकी	0.008
25	रुख़दिया पिता मांग्या, मंगत पिता शेरू, लाड़कीबाई पिता शेरू, सजनबाई गोगलबाई कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू बलाई नि.ग्रा.	295/1	पैकी	0.007
26	प्यारीबाई, लाड़कीबाई, नथीबाई पिता अर्जुन, उमराव पिता अर्जुन, हरचंद, किशन, लक्ष्मण, सोब्या, प्रभु, कमल पिता ऐडिया, अमरीबाई बेवा ऐडिया, पदम पिता बाउ बलाई सा. देह.	296	पैकी	0.008
27	रणजीतसिंह पिता कालूसिंह राजपूत सा. देह	397/2	पैकी	0.004
28	भारतसिंह, जिरेंद्रसिंह, तारूबाई, कमलाबाई, उमाबाई, बसंतीबाई पिता धनसिंह, देवकुंवरबाई बेवा धनसिंह राजपूत सा. देह.	414	पैकी	0.004
29	चंदरसिंह पिता दौला राजपूत सा. देह	426	पैकी	0.004
30	हबीब, बाबू, छोटू साराबाई, मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान, शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.	440	0.020	खजूर-1, बैर-4, जामुन-1
31	हबीब, बाबू, छोटू साराबाई, मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान, शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.	441	0.041	—
32	बदामसिंह पिता रतनसिंह, राजपूत, नि.ग्रा.	451/2	पैकी	0.004
33	जगदीश, मोहन, नारायण, कमलाबाई पिता गेंदिया, कमलाबाई अ.पा.क.मां. सीताबाई, सीताबाई बेवा गेंदिया भारुड़ सा. देह.	453/1	पैकी	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	गुलाबबाई बेवा मौजा किशोर पिता मौजा उषाबाई निशाबाई मंजुबाई पिता मौजा भारुड़ सा. देह.	453/2 पैकी	0.030	—
35	सतीश, सुधीर, सुनिल, निलीमा, सुलभा पिता शंकरराव ब्राह्मण सा. महु.	454	0.093	—
36	मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान, माशुम, जदशिर पिता यासीन, कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां, न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन, हमसीरन, रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह.	455 पैकी	0.008	मकान-1
37	दुले खां, हीरे खां, फकिरा, याकुब पिता नबी खां, लतीफ, युनुस पिता इलाही खां, कुसुमबाई, रसिदाबाई, अनिसाबाई पिता इलाही खां, अनुबाई बेवा इलाही खां जाति पिंजारा सा. देह.	458 पैकी	0.040	मकान-1, पीपल-1, नीम-1, बबूल-1
38	रामराव, जगन्नाथ पिता श्रीधरराव, सुशीलाबाई, इंदुबाई, उषाबाई, आशाबाई पिता श्रीधरराव ब्राह्मण सा. देह.	460 पैकी	0.006	नीम-1, फिफर-1
39	मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान, माशुम, जदशिर पिता यासीन, कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां, न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन, हमसीरन, रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह.	464	0.020	नीम-1, बबूल-1
योग :		40	12.633	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है।
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।

- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएँ/परिसंचयियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से ढूब प्रभावित ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में तिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.633 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
 2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये।
 3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे।
 4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी।
 5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे।
 6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।
 7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
 8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा।
 9. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
 10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)।
 11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
 12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायली का भुगतान करना होगा।
 13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
 14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।
 15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी। इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी।
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे।
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबू शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला-खरगोन (म. प्र.).

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि.,

मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-10-11

क्र. 208-भू-अर्जन-2011.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभ्यांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक ढूब से प्रभावित होने से ग्राम भट्याण बुजूर्ग, प.ह.नं. 36, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 226 कुल क्षेत्रफल 64.648 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है।

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम भट्याण बुजूर्ग तहसील कसरावद

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह	7 पैकी	1.303	—
2	मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह	8/1 पैकी	0.591	—
3	बनस्या पिता नत्थू बलाई सा. देह	8/2	2.023	—
4	कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह, विजयसिंह, सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	10	1.457	आम-2, नीम-10 बबूल-4, पियत नर्मदा नदी पाईपलाईन-1 द्वारा.
5	दगदू पिता देवराम, गुजर सा. देह	15/2 पैकी	0.473	नीम-5, बबूल-1
6	मिश्रीलाल, जानकीबाई, सीताबाई, भुवानीबाई पिता हिरालाल जाति सुतार नि. ग्रा.	19/2	0.809	—
7	अमरसिंह पिता नराण, जाति मोरी नि.ग्रा.	23	0.340	नीम-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.	28 पैकी	1.100	—
9	शेरू पिता राजला, जगदीश, आत्मराम, जानकीबाई, सीताबाई पिता शेरू, जाति बलाई नि.ग्रा.	33 पैकी	0.020	सिंचाई सर्वे नं. 37 के कुए से.
10	शिवशंकर पिता गणपत, तेली नि.ग्रा.	34 पैकी	0.170	—
11	अंतरसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. ससाबरड़	36 पैकी	0.364	नीम-2, सिंचाई नर्मदा नदी से पाईप लाईन-1
12	गफुर पिता छिटू पिंजारा सा.देह	38/2/1 पैकी	0.101	—
13	कालू पिता हुरमत पिंजारा सा. देह	38/2/2 पैकी	0.223	—
14	आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.	41/1 पैकी	0.267	—
15	केशरबाई पिता घिस्या गुजर नि.ग्रा.	41/2 पैकी	0.231	नीम-1
16	तुलस्या पिता नाना मोरी नि.ग्रा.	44/1 पैकी	0.186	—
17	राधेश्याम पिता गेंदलाल गुजर नि.ग्रा.	57/1 पैकी	0.307	नीम-10, कबीट-1, सिंचाई नर्मदा से पाईप लाईन-1.
18	अंकित पिता नवनीतदास महाजन नि. महेश्वर	58/1 पैकी	0.008	नीम-1, पाईप लाईन-1
19	अमरा पिता टिकाराम गुजर नि.ग्रा.	58/2 पैकी	0.150	सिंचाई नं. 58/1
20	विद्याबाई बेवा रमेशसिंह, योगेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता रमेशसिंह ठाकुर नि.ग्रा.	61 पैकी	0.145	सिंचित नर्मदा पाईप लाईन-1 से.
21	बाबू मंसाराम पिता आपा मोरी नि.ग्रा.	69 पैकी	0.028	—
22	आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि.ग्रा.	70	0.032	मकान-2 नं. 702, 711, गोबर गैस-1
23	दिनेश, राजेश, हेमलता, छगन, राधा पिता जैराम, कैलाशबाई बेवा जैराम, भुवानीराम पिता रामचंद्र द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.	71	0.036	नीम-2
24	रूपचंद, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण, शंकर पदम पिता फत्तू, पुनीया, भुवानीराम पिता जोग्या, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम एझ, देवराम पिता राजराम गुजर नि.ग्रा.	72	0.101	—
25	राधेश्याम, श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव, बसंतीबाई बेवा श्यामराव, रमेशचंद्र, अशोक, यशवंत, कैलाश, कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव, मजूबाई, कविताबाई पिता श्यामराव, ज्ञानेन्द्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण, बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राह्मण सा. देह	73	0.081	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	દિનાનાથ પિતા દેવારામ તેલી નિ. ગ્રા.	75	0.036	—
27	સુમનબાઈ બેવા જગદીશ, જોગેન્દ્ર, અનુબાઈ પિતા જગદીશ ગુજર નિ.ગ્રા.	77	0.032	જ્ઝોપડી-1 નંબર પ્લેટ નહીં હૈ.
28	રૂપચંદ, પ્રેમલાલ, ગંગાબાઈ પિતા નારાયણ, રેવાબાઈ બેવા નારાયણ, શંકર પદમ પિતા ફત્તુ પુન્યા, ભુવાનીરામ પિતા જોગ્યા, સરસ્વતીબાઈ બેવા રાજારામ એઢુ દેવરામ પિતા રાજારામ ગુજર નિ.ગ્રા.	78	0.036	મકાન-1 પ્લેટ નં. 715
29	ગેંડાબાઈ પતિ ઓંકાર સુતાર નિ.ગ્રા.	79	0.036	—
30	દુર્ગાબાઈ પિતા શંકર, પાર્વતીબાઈ પતિ બાબુલાલ, દૌલતબાઈ પતિ લક્ષ્મણ સુતાર નિ.ગ્રા.	80	0.036	—
31	રેવાશંકર, રામેશ્વર પિતા રણછોડ બ્રાહ્મણ નિ.ગ્રા.	84	0.093	મકાન-1, પ્લેટ નં. 718 ગૌબર ગૈસ-1
32	શોભારામ પિતા નાના ગુજર નિ.ગ્રા.	85	0.057	મકાન-1, પ્લેટ નં. 718 ટીનશેડ-1 મકાન કે સંલગ્ન હૈન.
33	શાન્તાબાઈ બેવા મયારામ, ચિંતારામ, મમતા પિતા મયારામ, મંગતીબાઈ પિતા રામલાલ ગુજર નિ.ગ્રા.	86/1	0.044	—
34	દયારામ પિતા પુન્યા ગુજર નિ.ગ્રા.	86/2	0.049	નીમ-1, ટીનશેડ-1 નંબર પ્લેટ નહીં હૈ.
35	રાધેશ્યામ, કિશોર, મિશ્રીલાલ, ગુલાબચંદ પિતા નાના, રામકુવરબાઈ બેવા નાના, ખંવરલાલ, રાધેશ્યામ, ભાગવતબાઈ પિતા દેવરામ ગુજર સા. દેહ.	87	0.121	મકાન-1—716
36	નંદકિશોર, કૃષ્ણરાવ, કૈલાશ પિતા મોજીલાલ બ્રા. નિ.ગ્રા.	89/1	0.048	—
37	ભોલેનાથ, પંડરીનાથ પિતા બાબુલાલ, ગેંડાલાલ, બાલકૃષ્ણ પિતા સદાશિવ, વિશ્વનાથ પિતા ગજાનંદ બ્રાહ્મણ નિ.ગ્રા.	89/2	0.053	—
38	રાધેશ્યામ પિતા ગેંડાલાલ ગુજર નિ.ગ્રા.	90/1	0.049	ઇમલી-1, નીમ-1, પશુશેડ-1, પ્લેટ નં. 720
39	લખન, અશોક, જમના, તુલસાબાઈ પિતા ફત્તુ ધનયબાઈ બેવા ફત્તુ ગુજર નિ.ગ્રા.	90/2	0.028	પશુશેડ-1, પ્લેટ નં. 721
40	કડવા પિતા ટીકારામ ગુજર નિ.ગ્રા.	91/1	0.028	—
41	માંગીબાઈ પતિ દગડુ ગુજર, કૈલાશ પિતા સડુ ભારુડ નિ.ગ્રા.	92/1	0.021	પ્લેટ નં. 727, 728, મકાન-2
42	અહિલ્યાબાઈ બેવા એઢુ નર્મદાશંકર પિતા એઢુ ગુજર નિ.ગ્રા.	92/2	0.024	પ્લેટ નં. 729, મકાન-1, ગૌબર ગૈસ-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	अहिल्याबाई बेवा एङ्ग, अनोकचंद पिता एङ्ग, गुजर नि.ग्रा.	92/3	0.024	प्लेट नं. 730, मकान-1,
44	पुनीबाई बेवा नत्थू गुजर नि.ग्रा.	93	0.044	प्लेट नं. 731, मकान-1, टीनशेड-1
45	गुलाबबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.	94	0.049	प्लेट नं. 732, मकान-1, टीनशेड-1, नंबर प्लेट नहीं है.
46	हुकुमचंद पिता आपाजी गुजर नि.ग्रा.	96/1/2	0.024	टीनशेड-2, नंबर प्लेट नहीं है.
47	हिरालाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.	96/2	0.028	अरीठा-1
48	गोपाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.	96/3	0.028	—
49	सीताराम पिता देवचंद, हिरालाल पिता मयाराम, भूरीबाई बेवा राजाराम गुजर नि.ग्रा.	97	0.049	नीम-1, प्लेट नं. 433, 434, 435, 436, मकान-2.
50	धनजी, परसराम, शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.	98	0.049	प्लेट नं. 437, 438, 439 मकान-3.
51	लोभीराम पिता फत्तू, शिवनारायण पिता तापीराम गुजर नि.ग्रा.	100	0.061	प्लेट नं. 440, 441, मकान-1, टीनशेड-1
52	धनजी, परसराम, शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.	101/1	0.036	प्लेट नं. 742, 743, मकान-2
53	राजाराम पिता नत्थू गुजर नि.ग्रा.	101/2	0.036	मकान-1, प्लेट नं. 744
54	अमराजी पिता भाऊ गुजर नि.ग्रा.	101/3	0.037	पशुशेड-1, प्लेट नं. 745
55	पुष्याबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाला ब्राह्मण नि.ग्रा.	102	0.057	टीन शेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.
56	कड़वीबाई बेवा नानकदास, सेवकराम पिता नानकदास, अज्ञान भगवान पिता नानकदास, अ.पा.क. मॉ कड़वीबाई बेवा नानकदास, भागवतबाई, रुकमणीबाई पिता नानकदास, केशव पिता गणपत, लक्ष्मीबाई गेंदाबाई पिता गणपत, नारायण पिता एङ्ग, चंदु पिता नारायण, नबीबाई पिता नत्थू नावडा नि.ग्रा.	103	0.053	पशुबाड़ा-1, नींबू-1, प्लेट नंबर नहीं है.
57	शेरू, भगवान, संतोषबाई, पूर्वाबाई, गिरजाबाई पिता आनंदराम मोरी नि. ग्रा.	104	0.097	—
58	देवराम, रेवाराम, भाईराम, गेंदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या, कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेतराम, दिनेश, महेश, राजेश, सुधीर पिता चेतराम नावडा नि.ग्रा.	107	0.093	—
59	भगवान, भेरू, भावल्या पिता शंकरगीर बाबाजी नि.ग्रा.	108	0.032	—
60	शिवनारायण, रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.	109	0.045	मकान-1, नंबर प्लेट नहीं है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61	राधेश्याम, श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव, बसंतीबाई बेवा श्यामराव, रमेशचंद, अशोक, यशवंत, कैलाश, कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव, मंजूबाई, कविताबाई पिता श्यामराव, ज्ञानेन्द्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण, बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राह्मण नि.ग्रा.	110	0.081	—
62	रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राह्मण नि.ग्रा.	116	0.036	—
63	रेवाशंकर, रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राह्मण नि.ग्रा.	117	0.040	टापरी-1, नीम-1 नंबर प्लेट नहीं है.
64	मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव, भूवानी, जानकी, सुभद्रा पिता टन्ट्या, नाई सा.देह	119	0.057	नीम-2
65	शेरू, गुलाबचंद, पुनमचंद, रेशमबाई, सकुबाई पिता धुलिया कुसुमबाई बेवा धुलीया गुजर नि.ग्रा.	121	0.161	नीम-1, मकान-2 प्लेट नं. 751, 752
66	रेवाजी, बाबूलाल जैराम, तोताराम पिता नथू, अजोध्याबाई बेवा नथू, भगवान पिता जोग्या गुजर नि.ग्रा.	122	0.085	बैर-2, बड़-1, नीम-1, मकान-3, प्लेट नं. 748, 749, 750.
67	इब्राहीम पिता अभिमन्यु पिंजारा नि.ग्रा.	123/1	0.040	मकान-1, प्लेट नंबर नहीं है.
68	बकश्या पिता नथू पिंजारा नि.ग्रा.	123/2	0.053	नीम-1, टापरी-2, प्लेट नंबर नहीं है.
69	मुनीर पिता अनवर पिंजारा नि.ग्रा.	123/3	0.040	बोर-2, गोंदी-1
70	झबरताल पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.	124/1	0.021	टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.
71	राधेश्याम पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.	124/2	0.024	मकान-1, प्लेट नंबर नहीं है.
72	कड़वा, महेश, जमना, गुड़डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल, आकाश, गोपाल, अन्नु अराधना पिता खुश्याल, लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.	126/1	0.073	—
73	बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम, प्रताप, पिरीराम, संतोषबाई, रलाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.	126/2	0.069	—
74	गोविन्द सिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि.ग्रा.	127	0.101	मकान-1, प्लेट नं. 781, टापरी-1, प्लेट नंबर नहीं है.
75	गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.	129	0.073	—
76	मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव, भूवानी, जानकी, सुभद्रा पिता टन्ट्या, नाई सा.देह	130	0.040	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	अमुबी पिता इमाम पिंजारा नि.ग्रा.	131	0.081	कबीट-1, नीम-1, मकान-1, प्लेट नं. 875
78	गंगाराम, गप्पू पिता मोहन, पुनी बाई पति मोहन कुम्हार नि.ग्रा.	133	0.041	नींबू-2, बैर-1, नीम पौधे-2
79	गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.	135/1	0.020	—
80	कैलाश पिता रतन गुजर नि.ग्रा.	135/2	0.020	—
81	चेतराम पिता फत्तू गुजर नि.ग्रा.	136	0.081	—
82	रुपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.	137	0.036	मकान-1, प्लेट नंबर नहीं है.
83	नथू पिता भीका बलाई नि.ग्रा.	138	0.004	—
84	कड़वा, महेश, जमना गुड्डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल, आकाश, गोपाल, अनु, अराधना पिता खुश्याल, लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावडा नि.ग्रा.	139	0.020	—
85	पुष्पाबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाल ब्राह्मण नि.ग्रा.	140	0.016	प्लेट नं. 474, मकान-1, सेवा सह संस्था.
86	शेरखों पिता कालूखों पिंजारा नि.ग्रा.	141	0.045	मकान-1, गौबर गैस-1, प्लेट नं. 770
87	रूपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.	142	0.053	मकान-4, प्लेट नं. 479, 480, 481
88	गोपाल, कमला बाई, हरूबाई, नर्मदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.	143	0.049	गौबर गैस-1, टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.
89	बंसीधर पिता गणपतराव ब्राह्मण नि.ग्रा.	144/1	0.109	नीम-1, मकान-1, प्लेट नंबर नहीं है.
90	पुष्पाबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाल ब्राह्मण नि.ग्रा.	144/2	0.057	मकान-1, प्लेट नंबर नहीं है.
91	राजाराम, भीलू पिता लक्ष्मण, रामेश्वर पिता भाईराम गुजर नि.ग्रा.	145	0.045	मकान-5, प्लेट नं. 465, 466, 467, 468, 469
92	मकुन्द, मोतीराम पिता नथू रमेश, गबरु, ओमप्रकाश, भुवानीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसंतीबाई पिता फुलचंद नावडा नि. ग्रा.	147	0.057	मकान-1, प्लेट नं. 681 682, 683
93	देवराम, रेवाराम, भाईराम, गेदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेतराम, दिनेश, महेश, राजेश, सुधीर पिता चेतराम नावडा नि.ग्रा.	148	0.052	—
94	बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम, प्रताप, गिरीराम, संतोषबाई, रत्नाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावडा नि. ग्रा.	149	0.036	मकान-1, प्लेट नं. 684

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95	भगवान, शिवराम, बलीराम, भागवतबाई, सुशीला पिता मंगत्या, लक्ष्मीबाई बेवा मंगत्या गुजर नि.ग्रा.	150	0.044	मकान-5, प्लेट नं. 421, 422, 423, 424, 425
96	सुजानबाई बेवा भुवानीराम, जगन्नाथ, चेतराम, भगवान पिता भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.	151	0.024	मकान-1, प्लेट नं. 441
97	सीताराम पिता दबला गुजर नि.ग्रा.	152	0.016	मकान-1, प्लेट नं. 442
98	दिनेश, राजेश, हेमलताबाई, छायाबाई, राधा पिता जैराम, कैलाशबाई बेवा जैराम, द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.	153/1	0.024	मकान-1, प्लेट नं. 440
99	ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.	153/2	0.012	मकान-1, प्लेट नं. 435
100	ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.	153/3	0.017	पशुबाड़ा-1 प्लेट नं. 429
101	पारूबाई पति सीताराम, राधेश्याम पिता नाना गुजर नि. ग्रा.	154	0.016	मकान-2 प्लेट नं. 427, 428.
102	संतोष पिता नारायण तेली, राम पिता शिवराम गुजर नि. ग्रा.	155	0.016	मकान-1, प्लेट नं. 426
103	मंगत्या पिता टीकाराम, रेवाराम पिता गंगाराम गुजर नि. ग्रा.	156	0.045	मकान-1
104	तोताराम पिता नथू गुजर नि. ग्रा.	157/1	0.024	मकान-1, टीनशेड-1 प्लेट नं. 685.
105	रामेश्वर, अनोकचंद, नर्मदाबाई, मायाबाई पिता आनंदराम, धनयबाई बेवा आनंदराम गुजर नि. ग्रा.	157/2	0.029	मकान-2 प्लेट नं. 686, 687.
106	मंगत्या पिता पुनाजी कुम्हार नि. ग्रा.	158	0.032	टापरी-1 प्लेट नंबर नहीं हैं.
107	हुसैना खॉ, मंगतु फकीर मोहम्मद, इसाक पिता रमजान, बानुबाई बेवा रमजान पिंजारा नि. ग्रा.	159/1	0.021	मकान-3 प्लेट नं. 689, 690, 691.
108	ईल्यास पिता कालू पिंजारा नि. ग्रा.	159/2	0.016	टप्पर-2 प्लेट नंबर नहीं है.
109	जैतुनबाई बेवा, बसुखॉ रहमान, लतिफ, सलमा, रहीसा पिता बसुखॉ पिंजारा नि. ग्रा.	159/3	0.016	नींबू-1, मकान-1 प्लेट नं. 688.
110	छगन पिता नथू गुजर नि. ग्रा.	160	0.073	बेर-1, टीन शेड-1 टप्पर-1, मकान-1 प्लेट नंबर नहीं हैं.
111	लक्ष्मण पिता रूपा, इदरसिंह, सजनसिंह, कमलसिंह, संतोषबाई, दुर्गबाई पिता छितर, कमलाबाई बेवा छितर राजपूत नि. ग्रा.	163	0.024	मकान-1, पशुशेड-1 प्लेट नं. 413.
112	कनकसिंह पिता नथूसिंह राजपूत नि. ग्रा.	164	0.020	नींबू-1, मकान-1, गोबरगैस-1 प्लेट नं. 412.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
113	પ્યારસિંહ, ચંદ્રસિંહ, ચૈનસિંહ, કુસુમબાઈ પિતા ધનસિંહ, પ્રેમબાઈ બેવા નારાયણ, રેખાબાઈ, શેરાબાઈ, દ્રોપદીબાઈ પિતા નારાયણ અજ્ઞાન મધુબાઈ, વર્ષાબાઈ, ભાવનાબાઈ, ભીમસિંહ પિતા નારાયણ પાલનકર્તા મોં પ્રેમબાઈ રાજપૂત નિ. ગ્રા.	165	0.020	મકાન-2 પ્લેટ નં. 410, 411.
114	મિશ્રીલાલ પિતા ભાઈરામ ગુજર નિ. ગ્રા.	166/1	0.016	મકાન-1, પ્લેટ નં. 409
115	આનંદરામ, આત્મરામ, રમેશ, કપુરચંદ, રાધાબાઈ પિતા ચંપાલાલ ગુજર નિ. ગ્રા.	166/2	0.008	મકાન-1, પ્લેટ નં. 408
116	જમનાબાઈ પિતા જૈરામ ગુજર નિ. ગ્રા.	166/3	0.008	મકાન-1, પ્લેટ નં. 430
117	નતથૂ પિતા દગડૂ ગુજર નિ. ગ્રા.	167/1	0.012	મકાન-4, પ્લેટ નં. 432, 436, 437, 438.
118	દુલીચંદ પિતા દગડૂ ગુજર નિ. ગ્રા.	167/2	0.012	મકાન-3, પ્લેટ નં. 433, 434, 435.
119	રૂપચંદ, પ્રેમલાલ, ગંગાબાઈ પિતા નારાયણ, રેવાબાઈ બેવા નારાયણ, શંકર, પદમ પિતા ફરૂ, પુનીયા, ભુવાનીરામ પિતા જોગ્યા, સરસ્વતીબાઈ બેવા રાજારામ, એડૂ દેવરામ પિતા રાજારામ ગુજર નિ. ગ્રા.	170	0.012	મકાન-3, પ્લેટ નં. 348, 349, 380.
120	ગોપાલ પિતા ગંગારામ ગુજર નિ. ગ્રા.	171	0.036	ટીનશેડ-1, ગોબરગૈસ-1 પ્લેટ નંબર નહીં હૈન.
121	સદૂ પિતા લક્ષ્મણ તેલી નિ. ગ્રા.	172	0.053	મકાન-2, નીમ-1, ટીન શેડ-1 પ્લેટ નં. 692, 460.
122	મહેશ કુમાર પિતા મિશ્રીલાલ સુતાર નિ. ગ્રા.	173/1	0.021	મકાન-1, પ્લેટ નં. 693.
123	ભગવાન પિતા હિરાલાલ ગુજર નિ. ગ્રા.	173/2	0.020	મકાન-1, ગોબરગૈસ-1 પ્લેટ નં. 694.
124	શિવશંકર પિતા ગણપત તેલી નિ. ગ્રામ.	173/3	0.020	મકાન-1, પ્લેટ નં. 695
125	ભીમસિંહ પિતા લક્ષ્મણસિંહ ઠકુર નિ. ગ્રા.	174	0.024	બૈર-1, ટાપરી-1, પ્લેટ નં. નહીં હૈ.
126	રાધેશ્યામ, શ્રીકૃષ્ણ, બીનાબાઈ પિતા મહાદેવ, બસંતીબાઈ બેવા શ્યામરાવ, રમેશચંદ, અશોક, યશવંત, કૈલાશ, કૃષ્ણરાવ, કમલ પિતા શ્યામરાવ, મજૂબાઈ, કવિતાબાઈ પિતા શ્યામરાવ, જાનેન્દ્ર, મહેન્દ્ર, શૈલેન્દ્ર, જિતેન્દ્ર પિતા રામકૃષ્ણ, બસન્તીબાઈ બેવા રામકૃષ્ણ બ્રાહ્મણ નિ. ગ્રા.	175	0.089	પિપળ-1
127	રાધેશ્યામ, બલીરામ, દેવરામ, ગીતાબાઈ, ભાગવતીબાઈ પિતા માંગ્યા, રાજારામ, સીતારામ, પિતા પોમડીયા, શોભારામ, સુન્દરબાઈ, લક્ષ્મીબાઈ પિતા ગંગારામ, તેલી નિ. ગ્રા.	176	0.057	નોંબૂ-1, ટીન શેડ 2 પ્લેટ નંબર નહીં હૈ.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
128	दिनानाथ पिता देवराम तेली नि. ग्रा.	177/1/2	0.016	—
129	एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.	177/2	0.033	इमली-1, पिपल-1, टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.
130	देवराम, नानूराम, रेवाराम पिता गणपत राजाराम, भाईराम, भीलू पिता लक्ष्मण, दयाबाई बेवा लक्ष्मण रतन पिता दयाराम, रेवाराम, अमराजी, बाबूलाल, रामलाल, भुवानीराम, कुवरबाई, धनीबाई, झुमकाबाई पिता भाऊ, जातीबाई बेवा भाऊ गुजर नि. ग्रा.	179 पैकी	0.081	मकान-2 प्लेट नं. 414, 415.
131	बाबू ओंकार, राधेश्याम, भगवान पिता रेवाराम गुजर नि. ग्रा.	180/1 पैकी	0.004	नीम-1, मकान-3, प्लेट नं. 696, 697, 698, टीनशेड-1.
132	पुनमचंद, जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.	180/2	0.052	अनार-1, आंवला-1, सिताफल-1, जामफल- 1, मकान-2 प्लेट नं. 416, 417, 418.
133	राघोराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.	182/1	0.021	मकान-1 प्लेट नं. 699
134	रामेश्वर पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.	182/2	0.024	मकान-1 प्लेट नं. 700
135	लेखराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.	182/3	0.024	गोरबरगैस-1, मकान-1 प्लेट नं. 701.
136	सेवकराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.	182/4	0.024	मकान-1, टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.
137	आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि. ग्रा.	183 पैकी	0.032	मकान-1 प्लेट नं. 702.
138	सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	185/1 पैकी	0.024	मकान-1, प्लेट नं. 703
139	नर्मदाबाई पति हुकुमचंद गुजर नि. ग्रा.	185/2 पैकी	0.024	मोसंबी-1, सिताफल-5, जामुन-3, अनार-2, संतरा-1, आम पौधे-5, बांसजाली-1, नीम बड़ पिपल (त्रीवेणी)-1 मकान-2, गोबरगैस-1 प्लेट नं. 712, 713.
140	गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	187 पैकी	0.040	नीम-1, टपरी-1 प्लेट नंबर नहीं है.
141	कैलाश पिता रतन गुजर नि. ग्रा.	188 पैकी	0.004	नीम-1
142	शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	189 पैकी	0.008	नीम-1
143	राधाबाई बेवा दुलीचंद, महेश, ओमप्रकाश पिता दुलीचंद अ.पा.क. मा. राधाबाई बेवा दुलीचंद, रेखाबाई पिता दुलीचंद गुजर नि. ग्रा.	191 पैकी	0.004	आम पौधा-1, सिताफल 2, जामुन-1, अनार-1, निंबू-2, नीम-1, मकान-1, प्लेट नं. 704.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144	लखन पिता शंकर बलाई नि. ग्रा.	204/1 पैकी	1.562	—
145	शेरू पिता राजला बलाई नि. ग्रा.	204/2 पैकी	1.416	—
146	सुन्दरलाल पिता शंकर बलाई नि. ग्रा.	204/3 पैकी	1.044	—
147	रेखाबाई बेवा दिलीप, अंजली, रोहित पिता दिलीप अ.पा.कर्ता रेखाबाई बेवा दिलीप, संगीता, सोनु पिता शिवराम, ज्योति, प्रतिभा पिता शिवराम, अ.पा.कर्ता बहन संगीताबाई बलाई नि. ग्रा.	204/4 पैकी	1.416	—
148	बसन्तीबाई बेवा छगन, सियाराम, मोहन, जीवनबाई, सुमनबाई पिता छगन नहाल नि. ग्रा.	205 पैकी	0.028	—
149	प्यारसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.	206/1	0.021	निंबू-1, मकान-1 प्लेट नं. 754.
150	चंद्रसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.	206/2	0.020	मकान-1 प्लेट नं. 755
151	गोविन्दसिंह, नारायण, इन्दर, मुकेश, अनिता पिता भगुसिंह, शान्ताबाई बेवा भगुसिंह, कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह, विजयसिंह, सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	207 पैकी	0.040	नीम-2, बबूल-1, मकान-5, प्लेट नं. 761, 762, 763, 764, 765.
152	शंकर, मंगत्या पिता उंकार बलाई नि. ग्रा.	211	0.037	मकान-1, प्लेट नं. 609, 610.
153	शिवसिंह पिता भेरुसिंह ठाकुर नि. ग्राम.	213	0.271	नीम-3
154	नारायण, बांगा, सावित्रीबाई, भुवानीबाई पिता हिरीया, दगड़या पिता दसरिया, राजला पिता हरजा, शंकर, करसन, भिल्या पिता मांगया बलाई नि. ग्रा.	214	0.081	मकान-2 प्लेट नंबर नहीं हैं.
155	राघोराम, मंगतीबाई पिता फत्तू, गयणाबाई बेवा फत्तू गीताबाई, ग्यारसीबाई, भागवत पिता भिल्या, करसन ध्वलईबाई पिता नथू, छितू, मांगी, काली पिता करसन, सुन्दरबाई बेवा करसन, नानकिया, गेंदिया, गुलाब, काली पिता कान्या, बन्स्या, मन्स्या, घनश्याम, कड़वीबाई पिता नथू बलाई नि. ग्रा.	216	0.061	त्रिवेणी-1, मकान-3 प्लेट नं. 613, 614, 615, 616.
156	बाल्या, भिल्या, प्यारा, जानकी सीता, गेंदा पिता घिस्या, रेवाराम, सदाशिव, जमनाबाई, रुसीबाई पिता एदू बलाई नि. ग्रा.	217	0.057	मकान-1, प्लेट नं. 618
157	कुन्दन, चंदन पिता भिका बलाई नि. खामखेड़ा	218	0.040	नीम-1, मकान-1 प्लेट नं. 649.
158	नथू पिता मंगत्या, मरुबाई बेवा मंगत्या, बोखार, रामा पिता कन्हैया बलाई नि. ग्रा.	219	0.073	मकान-3 प्लेट नंबर नहीं हैं.
159	सायबा पिता कालू बलाई नि. ग्रा.	220	0.016	मकान-1 प्लेट नंबर नहीं है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
160	शंकर, देवराम पिता सोम्मारिया, मैनाबाई बेवा सोम्मारिया, मिश्रीलाल, केशरिया, पुनीबाई, सरसतबाई पिता गणपत, नवीबाई बेवा गणपत बलाई नि. ग्रा.	221	0.032	मकान-2, प्लेट नंबर नहीं है.
161	मनोहर पिता धन्नालाल, बलाई नि. ग्रा.	224/1	0.024	बादाम-1, जामुन-1 मकान-2, प्लेट नं. 275, 276.
162	शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	224/2	0.045	
163	शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	225	0.012	बड़-1, बबूल-1
164	शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	227	0.170	नीम-1, बड़-1 मकान-1, टीनशेड-1, प्लेट नंबर नहीं है.
165	मंगत पिता अर्जुन बलाई नि. ग्रा.	229	0.036	नीम-1, पीपल-1, बांस जाती-1, मकान-1, प्लेट नं. 271.
166	गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	232	0.040	मकान-1, गोदी-1 प्लेट नं. 020.
167	मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी, भुवानीबाई पिता हिरलाल, बीनाबाई बेवा हिरलाल, भगवान, कैलाश, राजुबाई, मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गैंदाबाई, बेवा सखाराम, फत्तू, सीताराम, मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा.	233	0.020	नीम-2, पीपल-1, मकान-2, प्लेट नं. 231, 232.
168	बंसीधर पिता गणपतराव ब्रा. नि. ग्रा.	234	0.032	—
169	रामेश्वर, राधेश्याम, संतोष, उमा, कंचन, गुलाब, किरण पिता नराण तेली नि. ग्रा.	235	0.032	स्कूल भवन-1 प्लेट नंबर नहीं है.
170	एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.	237	0.040	बोर-1
171	अमरा पिता टिकाराम गुजर नि. ग्रा.	239/2	0.020	पशुबाड़ा-1 प्लेट नंबर नहीं है.
172	सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	242/1	0.206	नीम-1, पीपल-1, बबूल-1, टप्पर-1, प्लेट नंबर नहीं है.
173	गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	242/2	0.211	मकान-1, नीम-1, प्लेट नं. 676.
174	मंगत्या पिता भील्या बलाई नि. ग्रा.	243	0.008	मकान-1
175	ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम, गबु, नंदराम, भागवतबाई, पारूबाई, लीलूबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.	245/1	1.214	नीम-1, टीनशेड-1 प्लेट नंबर नहीं है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
176	रेशमबाई बेवा सुक्या, सुरज पिता सुक्या, संगीता, नंदिनी, अभिषेक पिता सुक्या, अ.पा.क. मां. रेशमबाई बलाई, सा. देह धन्या, शिवराम, दुर्गा पिता गणपत बलाई सा. देह	246	2.023	—
177	गेंद्या पिता कान्या हरिजन नि. ग्रा.	247	1.780	—
178	रमेश, ओमप्रकाश, गबरू, झुमकीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावडा नि. ग्रा.	249/1	1.214	—
179	रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.	249/2	2.023	—
180	मदन, सुकईबाई, ग्यारसीबाई नर्मदा, सोना पिता शोभाराम बलाई नि. ग्रा.	249/3 पैकी	1.521	नीम-1
181	शांताबाई बेवा लक्ष्मण, गुलाबचंद बिरजु, ममता, कुसुम, चन्द्रबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण, नीलाबाई बेवा श्यामलाल, कमलेश, रमेश, दिनेश पिता श्यामलाल, बलाई नि. ग्रा.	249/4 पैकी	0.607	—
182	सुन्दरबाई बेवा करसन, छितू पिता करसन बलाई नि. ग्रा.	249/5 पैकी	0.385	—
183	ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम, गबु, नंदराम, भागवतबाई, पारूबाई, लीलुबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावडा नि. ग्रा.	249/6	0.809	—
184	पदम पिता बुटिया बलाई नि. ग्रा.	250/1	2.023	—
185	रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.	250/2	2.023	नीम-1
186	ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम, गबु, नंदराम, भागवतबाई, पारूबाई, लीलुबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावडा, नि. ग्रा.	251/1	2.023	—
187	तुकाराम पिता पुन्या नावडा नि. ग्रा.	251/2	0.993	नीम-4, बबूल-1
188	रमेश, ओमप्रकाश, गबरू, झुमकीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावडा नि. ग्रा.	252/1	2.023	—
189	घिसीबाई बेवा मांगीलाल, किशोर, नमीचंद, दुलीचंद कड़वी, मुन्नी पिता मांगीलाल, नर्मदा बेवा सुरेश, पंकज पिता सुरेश, संतोष पिता सुरेश अ.पा.क. माता नर्मदाबाई बेवा सुरेश सोनी नि. ग्रा.	253/1	1.619	—
190	शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	253/2	0.809	—
191	शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	253/3	0.809	—
192	शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.	253/4	0.809	—
193	धन्या पिता छितू, सावत्रीबाई पिता नांग्या, जतनबाई बेवा नांग्या बलाई नि. ग्रा.	255/1	2.023	—
194	कालीबाई पिता निल्या बलाई नि. ग्रा.	255/2	2.023	—
195	कैलाश, गुलाबचंद, ताराचंद, मोहन पिता निल्या निवासी झापड़ी तह. महेश्वर सुमनबाई पिता निल्या निवासी रत्नपुर तह. बड़वाह, कमलाबाई पिता न्यादर निवासी महु बलाई.	255/3 पैकी	1.813	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
196	बाल्या पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.	256/1 पैकी	0.089	नीम-20
197	घनश्याम पिता नथू बलाई नि. ग्रा.	258 पैकी	0.040	—
198	बसुबाई बेवा सायबाब बलाई नि. ग्रा.	259/1 पैकी	1.375	—
199	धन्या पिता नांगया बलाई नि. ग्रा.	259/2 पैकी	1.060	—
200	कड़वीबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि. ग्रा.	266 पैकी	0.227	—
201	कमलाबाई बेवा भील्या, शान्तिलाल, कहैया, सेवकराम पिता भिल्या, अ.पा.क. मॉ कमलाबाई, मीराबाई बेवा बलीराम, सुरेश, विजय पिता बलीराम, पुनीबाई पिता भिल्या बलाई नि.ग्रा.	267 पैकी	0.073	—
202	शिवनारायण, रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.	270/2	0.535	—
203	दगड़, कालू, दुलीचंद, बालाजी, प्रेमलाल, चंपाबाई, शारदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.	280 पैकी	0.340	—
204	सीताबाई बेवा शंकर, भूरया, सखाराम, सुन्दरलाल, आनंदराम, लखन अमरया, लाड़कीबाई, द्वारकीबाई पिता शंकर बलाई नि.ग्रा.	281/1पैकी	1.375	नीम-3
205	शेरू, नहारसिंग, अमरया, रमेश, कमलाबाई, नानाबाई पिता राजला, कौशल्याबाई बेवा राजला बलाई नि.ग्रा.	281/2 पैकी	1.643	—
206	जाफरखो पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां	282/1 पैकी	0.085	—
207	जाफरखो पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां	282/3	0.486	—
208	सतेन्द्र पिता सुभाषचन्द्र पाटीदार नि. कसरावद	284 पैकी	0.729	नीम-1
209	जगदीश पिता टिकाराम गुजर नि. नगावां	285/1 पैकी	0.056	पिवत नर्मदा से
210	रेवाराम पिता टीकाराम गुजर नि. ग्रा.	285/6 पैकी	0.298	नीम-2, सिंचाई नर्मदा नदी से.
211	छगन पिता नथू गुजर नि. ग्रा.	288 पैकी	0.081	—
212	भुवानीराम पिता नाना मोरी नि. ग्रा.	289/2 पैकी	0.162	नीम-2
213	रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.	292 पैकी	0.809	नीम-1
214	रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.	293	0.016	—
215	रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.	295	0.202	—
216	कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोरा	301 पैकी	0.056	—
217	मंसाराम पिता गप्पू तेली नि. ग्रा.	305 पैकी	0.293	—
218	पुनमचंद, जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.	306/1 पैकी	0.044	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
219	कड़वीबाई बेवा नानकदास, सेवकराम, पिता नानकदास, अज्ञान भगवान पिता नानकदास, अ.पा.क. मॉ कड़वीबाई बेवा नानकदास, भागवतबाई, रुक्मणीबाई पिता नानकदास, केशव पिता गणपत, लक्ष्मीबाई, गेंदाबाई पिता गणपत, नारायण पिता एडू, चंदु पिता नारायण, नबीबाई पिता नन्दू नावड़ा नि. ग्रा.	320 पैकी	0.040	—
220	नथीबाई बेवा छितू, वजीर, बसीर, गफुर, हजराबाई, आमनाबाई सकीनाबाई पिता छितू प्यारा पिता रोशन पिंजारा नि. ससाबरड़.	468	0.235	नीम-2
221	भगवान पिता रूघनाथ, जीवन्तीबाई पिता रूगनाथ भारूड़ नि. ससाबरड़.	471	0.008	—
222	मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी, भुवानीबाई पिता हिरालाल, बीनाबाई बेवा हिरालाल, भगवान, कैलाश, राजुबाई, मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गैंदाबाई, बेवा सखाराम, फत्तू, सीताराम, मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा.	477 पैकी	0.073	सिंचित नर्मदा पाईप लाईन-1 से.
223	शांताबाई बेवा लक्ष्मण, गुलाबचंद बिरजु, ममताबाई, कुसुमबाई, चन्दाबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण, बलाई नि. ग्रा.	478/1 पैकी	0.809	नीम-3
224	नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.	478/2 पैकी	0.251	नीम-9
225	नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.	478/3 पैकी	0.121	नीम-3
226	कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोरा	299/616 पैकी	0.073	—
	महायोग . .	226	64.648	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-4-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8/2010/सात-2ए, भोपाल दिनांक 10-5-2010 द्वारा भू-अर्जन की सर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है।
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।

- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 64.648 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
 2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये।
 3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे।
 4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी।
 5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे।
 6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।
 7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
 8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा।
 9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
 10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)।
 11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
 12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।
 13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
 14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।
 15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी। इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी।
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे।
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर

(‘पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोड़

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला-खरगोन (म. प्र.).

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि.,

मण्डलेश्वर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्र. 20-अ-82-08-09-भु.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शाहपुरा	मगरमुंहा	बोरवेल एक प. ह. नं. 58, नं. ब. 339.	कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. लो. सा. बांची तट नहर संभाग क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर.	मगरमुंहा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 4062-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	सारंगपुर	मुंडला लोधा घोसला	10.506 5.903 योग :	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़।	मुंडलालोधा तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 4058-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	सारंगपुर	मुंडला लोधा	1.475	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	मुंडला लोधा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
योग :				1.475	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2011

प्र. क्र. 2-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	जरूआ	9.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम जरूआ की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 415-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	मोर	2.52	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.)	माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु।

क्र. 417-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	खाखरापाड़ा	1.41	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु।

क्र. 419-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	टाण्डापड़ाव	1.98	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की कचनारिया एवं टाण्डापड़ाव नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 421-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	सर्जेलिया	3.29	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की बरबेट मार्झनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . 10 पत्र क्र. 762-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	सुहौला	0.020	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 मैहर.	दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . 10 पत्र क्र. 763-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	यदुबीरनगर	0.080	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 मैहर.	दांर्यां तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 10 पत्र क्र. 764-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पथरहटा	0.352	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 मैहर.	दांर्यां तट की सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . . . 08 पत्र क्र. 773-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पाला	0.183	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.	दांर्यां तट की सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. 203-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	देवरा कोठार	20.955	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 205-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	अबेर	0.858	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की कोटर माइनर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 207-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	किचवरिया	3.828	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 209-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	रजरवार	8.118	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.),	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली सबमाइनर एवं कोटर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 211-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	ढोढ़ी	3.234	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 213-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	भटिगवां	3.696	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 215-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	थथौरा कोठार	6.798	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 217-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	पिपराछा कोठार	14.256	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 219-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	लौलाछ कोठार	13.299	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरबा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 221-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	मगरवार कोठार	4.686	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरबा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 223-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	टिकुरी पैपखार	2.673	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 225-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बिहरा कोठार	20.625	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 227-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बरा कोठार पैपखार	3.564	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 229-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	देवरी वृत्त	3.993	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 231-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	गोलहटा वृत्त	10.692	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.),	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर तथा नवलछा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 233-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	महदेवा पैपखार	5.676	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
की. की. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1899-10-11-प्रकरण क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायसेन	रायसेन	संग्रामपुर	161/1 0.607 0.132	कार्यपालन यंत्री,	नहर निर्माण कार्य
		सिंचाई योजना.	149 1.623 0.080	जल संसाधन संभाग,	
			285 0.457 0.060	रायसेन.	
		योग . .	2.687 0.272		
		160	1.214 0.128		
		122/5	0.263 0.160		
		योग . .	1.477 0.288		
		164/2	0.631 0.280		
		163/1/2	0.819 0.120		
		योग . .	1.450 0.400		
		167	1.505 0.080		
		163/2/1	0.607 0.228		
		योग . .	2.112 0.308		
		166/1	0.311 0.048		
		165/2	0.972 0.190		
		151/2/1	2.452 0.090		
		योग . .	3.735 0.328		
		122/4	0.263 0.040		
		148/2	0.837 0.080		
		योग . .	1.100 0.120		
		128	0.486 0.016		
		77/1	0.558 0.096		
		योग . .	1.044 0.112		
		129	0.421 0.124		
		131	0.547 0.112		
		139	0.995 0.168		
		योग . .	1.963 0.404		
		151/2/2	1.801 0.096		
		152/1	0.647 0.106		
		योग . .	2.448 0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114/2		0.551	0.090		
116		0.117	0.018		
योग . .		0.668	0.108		
118		2.250	0.036		
53		0.210	0.066		
योग . .		2.460	0.102		
61/2/1		0.097	0.015		
68/1		0.125	0.060		
66/1		0.101	0.048		
63/2		0.109	0.048		
योग . .		0.432	0.171		
65/2/2		0.097	0.015		
68/2		0.126	0.018		
योग . .		0.223	0.033		
46		0.162	0.030		
47		0.166	0.030		
योग . .		0.328	0.060		
142/2		1.203	0.096		
127		0.146	0.036		
योग . .		1.349	0.132		
162/2		1.894	0.144		
310		0.902	0.300		
योग . .		2.796	0.444		
311/3		0.705	0.705		
311/1		0.708	0.160		
161/318/1		1.214	0.280		
164/1		1.392	0.096		
165/1		2.023	0.304		
311/2		0.708	0.708		
148/1		2.688	0.280		
121/1		1.388	0.200		
142/1		2.023	0.204		
126		1.461	0.080		
312		2.428	0.203		
313		6.070	0.927		
121/2		1.384	0.080		
162/1		1.894	0.144		
151/1		1.619	0.120		
152/2		3.803	0.192		
152/3		5.015	0.090		
309		4.338	0.140		
299		4.856	0.172		
269/1/10		1.006	0.060		
269/1/9		1.006	0.064		
269/1/8		1.006	0.100		
269/1/7		1.006	0.020		
271/1		1.214	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
		270	5.261	0.220		
		289/1/1	1.640	0.064		
		289/2	1.226	0.120		
		290/1	0.778	0.060		
		291	0.599	0.064		
		287	0.603	0.064		
		163/2/2	1.571	0.020		
		168/1	1.012	0.120		
		114/3	0.595	0.090		
		114/1	0.647	0.084		
		71	1.129	0.114		
		74/2	0.182	0.072		
		63/1	0.061	0.042		
		63/3	0.109	0.048		
		54	0.263	0.030		
		50	0.198	0.048		
		45/1	0.669	0.192		
		36	3.189	0.348		
		योग . .	<u>96.959</u>	<u>10.637</u>		
रायसेन	रायसेन	अंडोल	59/1	0.405	0.054	
			61/1	0.809	0.042	
			योग . .	<u>1.214</u>	<u>0.096</u>	
			52/2	<u>1.719</u>	<u>0.240</u>	
			64/1/1	0.809	0.120	
			योग . .	<u>2.528</u>	<u>0.360</u>	
			185/2/1	2.124	0.018	
			185/1	3.237	0.150	
			184/3	1.418	0.072	
			183/1	2.104	0.168	
			183/2/1	1.052	0.088	
			183/2/2	1.402	0.088	
			57/2/2	0.425	0.045	
			57/3	1.481	0.042	
			57/2/1	0.430	0.045	
			58	1.668	0.120	
			64/1/2	0.405	0.170	
			37	1.243	0.210	
			36	2.440	0.120	
			30/1	1.003	0.030	
			30/2	0.923	0.120	
			31	4.148	0.350	
			32	5.160	0.240	
			योग . .	<u>34.405</u>	<u>2.532</u>	
रायसेन	रायसेन	मिर्जापुर	258	0.712	0.090	
		पाली.	256	0.372	0.042	
			योग . .	<u>1.084</u>	<u>0.132</u>	
			274	<u>1.311</u>	<u>0.130</u>	
			266/3	1.987	0.156	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			266/2 1.987 0.136		
			266/1 2.258 0.174		
			262 1.728 0.210		
			254/1 0.263 0.036		
			257 0.506 0.066		
			259 0.907 0.048		
		योग . .	<u>12.031</u>	1.088	
रायसेन	रायसेन	मुरैल कलां	316 0.194 0.024		
			311 1.141 0.090		
			306 0.956 0.060		
		योग . .	<u>2.291</u>	0.174	
			315 3.237 0.360		
			310/2 0.623 0.018		
			310/1 0.624 0.108		
			298/2/2 1.214 0.096		
			298/3 2.428 0.180		
		योग . .	<u>10.417</u>	0.936	
		महायोग . .	<u>153.812</u>	<u>15.193</u>	

(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 28 फरवरी 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष-2010-11-78.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	गुना	गोलाखेड़ी	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	उप मुख्य अभियांता (निर्माण) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राजस्थान).
			360 में से	0.021	चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग
			362 में से	0.021	स्टेशन निर्माण योजना.
			कुल . .	0.042	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-वर्ष-2010-11-80.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	दावतपुरा	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राजस्थान).
			01 में से 11 में से 12 में से 19/1/2 में से 20/1/1 में से	0.177 0.021 0.220 0.052 0.014	
			कुल किता-5	0.484	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष-2010-11-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	बालाभेंट	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राजस्थान).
			289/3/1	0.014	
			में से		
			कुल किता-1	0.014	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेशचन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में निजी भूमि)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	भेलदा	5.500	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	भेलदा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में निजी भूमि)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	देवपुर	35.00	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	भेलदा तालाब योजना निर्माण एवं नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इ. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 फरवरी 2011

प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सुडौर	निजी भूमि 7.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.60 कुल रकबा 8.90 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 064-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पडेरी	निजी भूमि 6.25 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.25 कुल रकबा 7.50 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 065-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मेहगवां तिलिया	निजी भूमि 13.65 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.45 कुल रकबा 16.10 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	महिलवारा	निजी भूमि 3.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.35 कुल रकबा 3.55 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 067-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पुरैना	निजी भूमि 7.80 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.80 कुल रकबा 9.60 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 068-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	बराहो	निजी भूमि 5.75 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 कुल रकबा 6.85 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 069-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	दुगरगवां	निजी भूमि 6.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.25 कुल रकबा 7.45 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी बांध निर्माण दूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 070-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पिपिरिया (ज्योतिषी)	निजी भूमि 5.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 कुल रकबा 6.50 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी बांध निर्माण दूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 071-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शाहनगर	निजी भूमि 2.90 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 कुल रकबा 3.40 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	लिपरी बांध निर्माण दूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 072-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	कचौरी	निजी भूमि 4.10 एवं शासकीय भूमि रक्बा 0.80 कुल रक्बा 4.90 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	लिपरी बांध निर्माण झूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्प्ल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 073-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	देवरी	निजी भूमि 2.40 एवं शासकीय भूमि रक्बा 0.40 कुल रक्बा 2.80 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	लिपरी बांध निर्माण झूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्प्ल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली/सीधी, दिनांक 3 मार्च 2011

क्र. 37-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली उप तहसील मडवास	1-निधिपुरी	11.51	भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.	ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 39-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	कुसमी	1-भदौरा	1.29 हे.	भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.	ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) ग्राम—दिवरीकला, प. ह. नं. 46/13, नं. बं. 329/331
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
310/1	0.02
311/3	0.05
योग :	0.07

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टेल वितरक के अंतर्गत नहर निर्माण के कारण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—मझौली

(ग) ग्राम—मनसकरा, प. ह. नं. 46/16, नं. बं. 604

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(0.24 हेक्टेयर में निर्मित)

1 कुंआ एवं बोर.

खसरा नंबर

(1)

58

रकबा (हे. में)

(2)

0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कुसमी वितरक नहर की महगंवा नहर निर्माण के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—जबलपुर

(ग) ग्राम—बिलगंवा, प. ह. नं. 06, नं. बं. 333

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(0.02 हेक्टेयर में निर्मित)

कुंआ एवं बोर.

खसरा नंबर

(1)

19

रकबा (हे. में)

(2)

0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मदना वितरण शाखा की उपशाखा क्र. 1 नहर निर्माण के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग				(1)	(2)	(3)	(4)
				1	354	169 पैकी	146
				1	354	134 पैकी	20
				1	354	141 पैकी	37
				1	354	173	41
				1	354	144 पैकी	80
				1	354	163 पैकी	16
				1	354	136 पैकी	80
				1	354	148 पैकी	135
				1	354	140 पैकी	57
				1	354	178	31
				1	358	360	41
				1	358	348	21
				1	358	359	50
				1	358	339	86
				1	358	346	26
				1	358	361	41
				1	358	368	12
				1	358	351	56
				1	358	356	91
				1	358	340	106
				1	358	358	78
				1	358	394	3
				1	358	343	48
शीट क्रमांक	खसरा नंबर	भू-खण्ड क्रमांक	झूब का रकबा (वर्गमीटर में)	1	358	366	261
(1)	(2)	(3)	(4)	1	358	345	44
1	354	135 पैकी	50	1	358	349	38
1	354	148 पैकी	379	1	358	355	36
1	354	176	59	1	358	364	57
1	354	162 पैकी	7	1	358	338	75
1	354	174	98	1	358	342	48
1	354	147	51	1	358	337	146
1	354	145 पैकी	100	1	358	344	74
1	354	171 पैकी	100	1	358	365	141
1	354	170 पैकी	66	1	358	341	145
1	354	175	66	1	358	350	41
1	354	143 पैकी	134	1	358	354	42
1	354	146	227	1	358	357	78
1	354	166 पैकी	200	1	358	362	80
1	354	149	46	1	358	363	56
1	354	142 पैकी	95	1	358	393	93
				1	358	347	33
				1	358	282	35

(1)	(2)	(3)	(4)	शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं		
				ख. नं.	मद	संपत्ति का विवरण
1	358	329	110			
1	358	281	35	(1)	(2)	(3)
1	358	334	91	174	नि. चरागाह	मकान-4
1	358	283	35	268/1	नि. चरागाह	मकान-28
1	358	332	81			नलकूप-1
1	358	280	48			योग : मकान-32 एवं नलकूप-1
1	358	279	50			
1	358	330	109			
1	358	331	81			
1	358	335	68			
1	358	328	105			
1	358	284	87			
1	358	327	134			
1	358	278	57			
		योग :	5594			

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)
290	मकान-7 एवं टपरी-1
296	मकान-8
306	मकान-1
314/1	मकान-1
315/3	मकान-2
315/3	मकान-1
315/4	मकान-1
315/4	मकान-1
401/1	मकान-1
411	मकान-1
431	मकान-5
435	मकान-2
436	मकान-4
437	मकान-1
438	मकान-4
444	मकान-6
445	मकान-2
453/1	मकान-14
453/2	मकान-9
योग :	मकान-70 एवं टपरी-1

क्र. 224-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—गोगावां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—170 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

शीट	खसरा	भू-खण्ड	झूब का रकबा
क्रमांक	नंबर	क्रमांक	(वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	157/3	65	27
1	157/3	66	14
1	157/3	59 पैकी	66

(1)	(2)	(3)	(4)
1	157/3	63	51
1	157/3	53 पैकी	12
		योग :	170

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)
191/9	मकान-4
199/3	
198	मकान-4
199/1	मकान-2
206/1	मकान-1
206/2	मकान-1
207	मकान-1
209	मकान-4
210	मकान-1
211	मकान-4
223/2	
212	मकान-2
योग :	मकान-24

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	मद	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
220/1	नि. चरनोई	आश्रम-1, सार्वजनिक मंदिर-1, पम्प हाऊस-18, पाईप लाईन-18.
223/1	नि. चरनोई	मकान-16, पम्प हाऊस-27, पाईप लाईन-38.
	योग :	मकान-16 आश्रम-1, सार्वजनिक मंदिर-1, पम्प हाऊस-45, पाईप लाईन-56.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.गा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 248-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं,

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम का नाम—ससाबरड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7604 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं,

शीट क्रमांक	खसरा नंबर	भू-खण्ड क्रमांक	डूब का रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	1	59	400
37	1	61	93
37	1	62 पै	93
37	1	62	84
37	1	63	124
37	1	64	6
37	1	65	6
37	1	66	133
37	1	67	37
37	1	68	5
37	1	69	64
37	1	70	27
37	1	71	108
37	1	73	185
37	1	74	100
37	1	75	83
37	1	76	93
37	1	79	37
37	1	80	7
37	1	82	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
37	1	83	13	37	1	134	92
37	1	84	5	37	1	135	64
37	1	86	5	37	1	136	60
37	1	87	65	37	1	137	89
37	1	88	152	37	1	138	69
37	1	89	104	37	1	139	31
37	1	90	100	37	1	140	34
37	1	91	178	37	1	141	61
37	1	92	38	37	1	142	42
37	1	95	76	37	1	143	60
37	1	96	129	37	1	144	76
37	1	97	65	37	1	145	136
37	1	98	82	37	1	146	56
37	1	99	73	37	1	147	56
37	1	100	57	37	1	148	64
37	1	101	45	69/1	1	2	50
37	1	103	149	69/1	1	3	41
37	1	104	140	69/1	1	4	68
37	1	105	63	69/1	1	5	115
37	1	106	162	69/1	1	6	67
37	1	107	79	69/1	1	8	35
37	1	108	66	69/1	1	15	62
37	1	110	68	69/1	1	9	60
37	1	111	41	69/1	1	10	50
37	1	113	54	69/1	1	12	31
37	1	114	54	69/1	1	13	25
37	1	115	34	69/1	1	14	19
37	1	116	46	69/1	1	16	13
37	1	118	3	69/1	1	18	51
37	1	119	16	69/1	1	19	53
37	1	120	44	69/1	1	21	32
37	1	121	41	69/1	1	22	107
37	1	122	45	69/1	1	23	81
37	1	123	42	69/1	1	24	72
37	1	124	26	69/1	1	25	43
37	1	125	54	69/1	1	26	44
37	1	126	78	69/1	1	32	29
37	1	127	63	69/1	1	28	14
37	1	129	15	69/1	1	29	19
37	1	130	20	69/1	1	30	79
37	1	131	39	69/1	1	33	97
37	1	132	56	69/1	1	34	51
37	1	133	91	69/1	1	35	36

(1)	(2)	(3)	(4)
69/1	1	36	52
69/1	1	37	40
69/1	1	39	43
69/1	1	40	59
69/1	1	41	11
69/1	1	42	27
69/1	1	43	47
69/1	1	44	25
69/1	1	47	116
69/1	1	49	31
69/1	1	50	25
69/1	1	51	16
69/1	1	52	29
69/1	1	53	38
69/1	1	54	23
69/1	1	55	28
69/1	1	57	27
69/1	1	58	50
योग :			7604

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)
38	मकान पक्का-1, मकान कच्चा-1
40	मकान-1
54	मकान-1
56	मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल-1
57, 58, 59	मकान पक्का-1
59	मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल-1
	मकान पक्का-2, मकान कच्चा डबल मंजिल-1
59, 63	मकान पक्का-2, टीन टापरी-1
64	मकान पक्का-4
65	मकान पक्का-1

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	मद	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
69/2	नि. चरागाह	मकान-25, शासकीय भवन-5, सार्वजनिक पानी का होज-1 पाईप लाईन-7.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन	जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के दूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 249-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—नगावा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9857 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

शीट क्रमांक	खसरा नंबर	भू-खण्ड क्रमांक	दूब का रक्का (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)

1	45	2	7
---	----	---	---

1	45	3	7
---	----	---	---

1	45	4	7
---	----	---	---

1	45	5	8
---	----	---	---

1	45	6	4
---	----	---	---

1	45	7	4
---	----	---	---

1	45	8	4
---	----	---	---

1	45	9	3
---	----	---	---

1	45	10	13
---	----	----	----

1	45	12	3
---	----	----	---

1	45	13	4
---	----	----	---

1	45	14	4
---	----	----	---

1	45	15	3
---	----	----	---

1	45	18	16
---	----	----	----

1	45	20	2
---	----	----	---

1	45	21	2
---	----	----	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	100	23	165	1	100	27	41
1	100	45	146	1	100	29	71
1	100	47	53	1	100	30	77
1	100	48	151	1	100	31	58
1	100	49	749	1	100	32	107
1	100	175	49	1	100	41	75
1	55	275	27	1	100	37	84
1	55	276	56	1	100	38	48
1	55	277	22	1	100	40	63
1	55	278	39	1	100	42	54
1	55	279	31	1	100	44	40
1	48/2	292	13	1	100	50	49
		56	290	1	100	51	356
1	48/2	294	88	1	100	71	95
1	48/2	295	69	1	100	72	27
1	48/2	296	55	1	100	73	21
1	48/2	297	78	1	100	74	44
1	48/2	299	53	1	100	75	65
		300	57	1	100	76	63
1	48/2	302	43	1	100	77	373
		318	46	1	100	83	38
1	48/2	301	58	1	100	84	166
1	48/2	303	55	1	100	89	92
		56	12	1	100	90	135
1	48/2	305	33	1	100	91	150
1	48/2	307/367	145	1	100	94	131
1	48/2	307	180	1	100	97	121
1	48/2	308	87	1	100	98	136
1	48/2	309	53	1	100	108	260
1	48/2	310	60	1	100	110	220
1	48/2	311	31	1	100	112	63
1	48/2	312	26	1	100	113	31
1	48/2	315	29	1	100	114	102
1	48/2	316	39	1	100	116	57
1	48/2	317	33	1	100	117	59
1	48/2	319	33	1	100	119	160
1	48/2	320	55	1	100	128	254
1	55	281	44	1	100	129	74
1	55	283	19	1	100	130	159
1	55	282	15	1	100	131	116
1	55	280	20	1	100	132	184
1	56	285	23	1	100	133	184
1	56	286	54	1	100	134	152
1	56	289	45	1	100	176	87
1	56	288	84	1	100	177	106
1	100	24	53	1	100	178	155
		43	37	1	100	179	144
1	100	25	70	1	100	180	68

(1)	(2)	(3)	(4)
1	100	181	310
1	100	187	97
1	100	231	67
1	100	232	90
1	100	233	65
1	100	234	9
1	100	235	22
1	100	236	15
1	100	237	15
1	100	86	122
		95	111
		योग :	9857

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)
22	टीनशेड-1
24	टीनशेड-2
42/1, 42/2	मकान-1
93	टीनशेड-2
94/1	मकान-2
95/1	
94/2	टीनशेड-5, गोबर गैस संयंत्र, एंगल टीन खुला-2

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.	मद	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
21	गोचर	मांगलिक भवन-1, टीनशेड-1
9	गोचर	टापरी-3, टीनशेड-2, गोबर गैस संयंत्र-1, पानी का होज-2
48/1	गोचर	झुग्गी-20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. 2-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— अशासकीय भूमि

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) ग्राम—खुनाथपुरा, पटवारी हल्का नं. 48

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.315 हेक्टर।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
266	0.100
300/1	0.400
293/3	0.520
292/2	0.364
291/1	0.405
264	0.121
265	0.405

योग : 2.315

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जरूरआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है।

क्र. 2-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— अशासकीय भूमि

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

- (ग) ग्राम—जरूवा, पटवारी हल्का नं. 48
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.445 हेक्टर.

टीकमगढ़ दिनांक 23 फरवरी 2011

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
313/2	0.130
314/2	0.008
334	0.484
337	0.243
342	0.121
343/1	0.008
341	0.142
338	0.008
340	0.008
350	0.162
348	0.280
345	0.080
343/2	0.008
349	0.008
344	0.060
459	0.400
389	0.020
391	0.250
392	0.120
394	0.004
395	0.160
396	0.142
466	0.545
467/1	0.262
467/2	0.324
507	0.010
508	0.162
977	0.331
978	0.081
979/2	0.150
983	0.464
979/1	0.452
1051	0.405
1054	0.202
1055	0.364
1177	0.767
1180/2/2	0.080
योग :	
	7.445

क्र. 5-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—पलेश
 (ग) ग्राम—भदरई, पटवारी हल्का नं. 02
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—31.594 हेक्टर.

खसरा नंबर रकबा (हे. में)

(1) (2)

316/1	0.155
317	0.420
318	0.040
319	0.437
320	0.110
317/899	0.040
322	0.050
477	0.700
478	0.194
482	0.105
479	0.174
481	0.121
941	0.845
480	0.020
483	2.213
484	0.291
485	1.254
486	0.061
942	0.020
943	0.178
944	0.134
475	0.110
456	0.030
449	0.190
454	0.263
487	0.0486
491	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जरूरआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
497	0.785	546	0.162
488	0.101	547	0.024
492	0.113	548	0.049
493	0.162	549	0.324
495	0.065	550	1.315
483/935	0.664	541	0.210
936	0.235	542	0.077
937	0.081	544	0.024
938	0.016	545	0.073
939	0.129	535	0.154
940	0.202	537	0.178
489	0.073	538	0.125
490	0.113	529	0.583
494	0.150	536	0.085
496	0.065	933	0.340
499	0.214	934	0.020
501	1.210	530/1	1.529
502	0.356	531	0.725
512	0.028	532	0.032
513	0.024	533	0.344
515	0.413	534	0.085
516	0.737	553/928	0.140
517	0.494	553/929	0.030
518	0.178	553/930	0.080
519	0.154	553/5	0.100
503	0.109	530/2	0.256
508	0.113	564/7	0.405
509	0.093	564/5	0.210
514	0.073	551/924	0.441
504	0.089	551/925	0.016
506	0.190	551/926	0.049
510	0.069	551/927	0.138
505	0.109	564/1/2	0.300
507	0.089	875/4	1.012
511	0.085	875/1/1	0.100
526	0.664	875/5	0.809
527	0.910		
552/1	0.202		योग : 31.594
520	0.502		
521	0.295		
522	0.303		
523	0.016		
524	0.380		
525	1.040		
539	0.028		
540	0.170		
543	0.061		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु (बांध एवं डूब क्षेत्र).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

	(1)	(2)
	26	0.729
	27/1	1.620
	27/2	0.518
	28/1	0.405
	28/2	0.223
	29	0.955
	30	0.101
	31	0.858

(1) भूमि का वर्णन—	(1)	(2)
(क) जिला—टीकमगढ़	33	0.283
(ख) तहसील—पलेरा	34	0.474
(ग) ग्राम—खरों पटवारी हल्का नं. 04	35	0.773
(घ) लगभग क्षेत्रफल—92.426 हेक्टेयर.	36	0.186

खसरा नम्बर	रक्कड़ा (हे. में)	(2)	(1)
4/1	0.567	41	0.251
4/2	0.036	42	0.287
7	0.320	43	0.967
6/1	0.105	44	0.878
6/2	0.154	45	1.206
9	0.643	46	1.817
10	0.809	47	0.979
11	1.141	48	0.097
12	1.197	49	0.761
13	0.255	50	1.056
14	0.445	51	0.067
15	0.227	52	0.450
16	0.458	54	0.125
17	0.271	56	0.045
18	0.688	57	0.930
19	1.166	58/1	0.550
20	0.121	58/2/1	0.183
21	0.117	58/2/2	0.367
22/1	0.898	60	0.158
22/2	0.409	61	0.138
23/1	0.964	62	0.170
23/2	0.040	63	0.182
24	0.494	64/1	0.150
25	0.482	64/2	0.620

(1)	(2)	(1)	(2)
67/2	0.081	120	0.340
67/3	0.081	121/2	0.106
67/4	0.081	121/2	0.106
68/1	0.405	123	0.162
68/2/1	0.719	124/1	0.344
68/2/2	1.438	124/2	0.150
69	0.534	124/3	0.344
70	0.455	126	0.190
71/2	0.100	128	0.449
74/1	0.550	130	0.571
74/2	0.300	131	0.320
75	0.890	207/2/1	0.600
76	1.371	208	0.020
77	0.603	209	0.231
78	0.781	210	0.155
79	0.957	211	0.462
80	0.129	212	0.450
81/1/1	0.373	213	0.100
81/1/2	0.315	216	0.474
81/2	0.097	217	0.360
88	0.105	218	0.219
89	0.097	219	0.100
90	0.162	220	4.200
91	0.210	226	0.050
92	0.364	227	0.539
93	0.239	228	0.267
94	0.210	229	0.194
95	0.594	230	1.157
97	1.346	231	0.271
98	0.158	232	0.308
99	0.263	233	0.295
100	0.200	234	0.231
101	0.777	235	0.345
104	0.367	236	0.186
109	0.146	237	0.109
111	0.328	238	0.150
112	0.225	239	1.792
113	0.036	303	0.800
152	1.121	243/1	0.220
118	0.154	243/2	0.545
119	0.550	244	0.113

(1)	(2)	(1)	(2)
245	0.061	287	0.100
247	0.190	149	0.200
248	0.235	141/1/3	0.125
249	1.104	142	0.505
251	0.227	3/2829	0.450
252	0.254	304	0.200
253/1	0.440	302	0.185
253/2	0.367	308	0.815
254	0.142	301	0.680
255	0.081	307	0.138
256	0.830	309	0.255
257	0.384	155	0.200
258	0.898	कुल योग . .	<u>92.426</u>

259/1 1.574

259/2 0.008

260 0.474

261 0.539

262 0.227

263 0.117

264 0.223

265 0.478

266 0.328

267 0.267

268 0.364

269 0.219

270 0.279

271 1.174

272/2 2.000

273 0.428

275 0.030

278/1/1 1.610

278/1/2 0.670

280 0.263

281 0.190

282/1 0.794

282/1/1 0.129

282/1/2 0.129

283 0.231

284 0.440

285 0.356

286 1.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु (बांध एवं ड्रूब क्षेत्र)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 423.भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. ए-82.—चूर्कि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

- (ग) ग्राम—कोटड़ा चारण
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1) 472	(2) 0.10
474	0.07
477	0.13
478	0.10
480	0.40
कुल योग . .	<u>0.80</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना के मुख्य बांध के डूब क्षेत्र के निर्माण होने से ग्राम कोटड़ा चारण का कुल रकबा निजी भूमि 0.80 हेक्टेयर.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 शोधित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्र. एफ-765-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—मैहर
 (ग) नगर/ग्राम—पलौहा
 (घ) क्षेत्रफल—0.324 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. मे.)
(1)	(2)
999/1	0.324
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>0.324</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है

क्र. एफ-766-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—उचेहरा
 (ग) नगर/ग्राम—झुरुखूलू
 (घ) क्षेत्रफल—0.705 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. मे.)
(1)	(2)
343	0.230
351/1	0.475
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>0.705</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद—सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है

क्र. एफ-767-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—मैहर
 (ग) नगर/ग्राम—हरदुआ सानी
 (घ) क्षेत्रफल—1.000 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. मे.)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	673	0.188	0.149	0.039	0.188	
985	1.000	679	0.115	0.011	0.102	0.113	
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>1.000</u>	681	0.345	0.030	0.040	0.070	
		714/2	0.172	0.087	0.043	0.130	
		1847/1	0.749	0	0.368	0.368	
		2251/839	0.157	0	0.100	0.100	
		684	0.136	0.002	0.008	0.010	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-768.भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—पोड़ी
- (घ) क्षेत्रफल—1.940 हेक्टेयर.

सतना-रीवा मुख्य नहर में अर्जित होने वाली अशासकीय

भूमि की पूरक सूची ग्राम पोड़ी

खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित रकबा	अतिरिक्त अर्जित रकबा	कुल रकबा	कैफियत
26/1	0.818	0	0.495	0.495	
413/1ख	0.052	0	0.052	0.052	
513/2	0.084	0	0.084	0.084	
592/2	0.136	0.100	0.036	0.136	
631/1ख	0.293	0	0.002	0.002	
631/2क	0.105	0	0.083	0.083	
631/2ख	0.105	0	0.057	0.057	
631/2ग	0.105	0	0.105	0.105	
631/2घ	0.105	0	0.037	0.037	
631/2ङ	0.105	0	0.105	0.105	
586	0.523	0	0.006	0.006	
657	0.178	0	0.174	0.174	
659/2	0.199	0	0.004	0.004	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-769-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—पलौहा
- (घ) क्षेत्रफल—0.010 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. मे.)
924	0.010
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>0.010</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण बाबत्.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-770-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—सभागंज
- (घ) क्षेत्रफल—0.250 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल
	(हे. मे.)

(1)	(2)
-----	-----

956/917	0.125
---------	-------

957/917	0.125
---------	-------

निजी खाता भूमि योग रकबा . . 0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बाबत्.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर(भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 25 फरवरी 2011

प्र. क्र. 369.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम—गड़हराखुर्द, पटवारी हल्का नं.
सासन 45, रा. नि. क्षेत्र-माड़।

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.43 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल	आवेदित रकबा (हे. मे.)
	(1)	(2)
313/1	जुज	0.08
313/2	जुज	0.13
313/3	जुज	0.16
315/1	जुज	0.10
315/2	जुज	0.17
315/3	जुज	0.05
316	जुज	0.03
322	जुज	0.13
323	जुज	0.14
324	जुज	0.05
326	जुज	0.06
327/1	जुज	0.37
327/2	जुज	0.17
328	जुज	0.12
330	जुज	0.08
334	जुज	0.06
335		0.15
336/2	जुज	0.06
337	जुज	0.05
338	जुज	0.10
448/2	जुज	0.06
448/3ग	जुज	0.05
450	जुज	0.13
451	जुज	0.18
452	जुज	0.12
453	जुज	0.19
454	जुज	0.20
462	जुज	0.01
464	जुज	0.02
465	जुज	0.06
466	जुज	0.16
467	जुज	0.13
468	जुज	0.03
469	जुज	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
470	जुज	0.07	598/1 जुज 0.07
471	जुज	0.02	600/2क जुज 0.03
472	जुज	0.02	600/2ख 0.01
476/2	जुज	0.72	600/2ग जुज 0.03
482/2	जुज	0.02	600/2घ 0.01
482/3	जुज	0.01	601 जुज 0.21
482/4	जुज	0.02	614/1 जुज 0.01
482/5	जुज	0.01	615 जुज 0.06
482/6	जुज	0.01	620 0.06
482/7	जुज	0.01	621/1 जुज 0.03
483	जुज	0.01	621/2 0.03
568/1क	जुज	0.01	621/3 0.01
568/3	जुज	0.04	622/1 जुज 0.07
568/5		0.06	622/2 जुज 0.07
568/6	जुज	0.03	622/3 जुज 0.07
571/1क	जुज	0.10	622/4 जुज 0.07
571/2	जुज	0.02	622/7 जुज 0.06
571/3	जुज	0.03	622/8 जुज 0.06
571/4	जुज	0.03	622/9 जुज 0.06
571/5	जुज	0.03	624 जुज 0.03
572/1क	जुज	0.09	625 जुज 0.06
572/2	जुज	0.02	568/641/1 जुज 0.18
572/3	जुज	0.02	568/641/2 जुज 0.10
572/4	जुज	0.02	568/641/3 जुज 0.07
572/5	जुज	0.02	600/648/1 0.01
573/2	जुज	0.02	600/648/2 0.01
573/3	जुज	0.02	600/648/3 0.01
573/4	जुज	0.02	600/648/4 0.01
573/5	जुज	0.02	600/648/5 0.01
573/6	जुज	0.04	600/648/6 0.01
574/2	जुज	0.07	600/648/7 0.02
591	जुज	0.01	योग . . <u>7.43</u>
592	जुज	0.09	
594/3	जुज	0.01	
595/1क	जुज	0.11	
595/1ख	जुज	0.11	
595/1ग	जुज	0.11	
595/2	जुज	0.12	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला पहिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 371.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली
- (ग) ग्राम का नाम—पचौर, पटवारी हल्का नं. करकोसा 21, रा. नि. क्षेत्र-बैठन.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टर.

खसरा	आवेदित क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
350	0.03
354	0.03
355	0.04
योग . .	<u>0.10</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैठन) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 373.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली

- (ग) ग्राम का नाम—काम, पटवारी हल्का नं. काम 46, रा. नि. क्षेत्र-बैठन.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टर.

खसरा	आवेदित क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
1948/1	जुज 0.03
1948/2	जुज 0.01
1948/3	जुज 0.02
1948/4	जुज 0.01
1948/5	जुज 0.01
1948/6	जुज 0.01
1949/1	जुज 0.02
1950/1	जुज 0.36
1950/2	जुज 0.19
1951	जुज 0.24
1952/2	जुज 0.10
1952/3	जुज 0.11
1952/4	जुज 0.09
2022/2क	जुज 0.10
2022/2ख	जुज 0.10
2023/1	जुज 0.12
2023/2क	जुज 0.02
2023/2ख	जुज 0.01
2023/2ग	जुज 0.01
2023/2घ	जुज 0.04
2023/2ड़	जुज 0.02
2023/2च	जुज 0.03
2023/3	जुज 0.06
2023/4	जुज 0.02
2023/5	जुज 0.03
2026/1क	जुज 0.02
2026/1ख	जुज 0.01
2026/1ग	जुज 0.02
2026/1घ	जुज 0.02
2026/2	जुज 0.01
2027/1क	जुज 0.10
2027/1ख	जुज 0.10
2027/1ग	जुज 0.10

(1)	(2)
2027/1घ	जुज 0.10
2027/2	जुज 0.03
2028/1	जुज 0.01
2028/2	जुज 0.04
2028/3	जुज 0.04
2028/4	जुज 0.04
2028/5	जुज 0.04
2029	जुज 0.10
1950/2086/2	जुज 0.20
1950/2086/3	जुज 0.07
1950/2086/4	जुज 0.06
योग . .	<u>2.87</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेंगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 378.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
 (ख) तहसील—सिंगरौली
 (ग) ग्राम का नाम—सिद्धीखुर्द, पटवारी हल्का नं. सासन
 45, रा. नि. क्षेत्र-माड़ा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.16 हेक्टर।

खसरा	आवेदित क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
782	0.03
783/2	0.13
योग . .	<u>0.16</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेंगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 380.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
 (ख) तहसील—सिंगरौली
 (ग) ग्राम का नाम—नौगढ़, पटवारी हल्का नं. नौगढ़
 (घ) 23, रा. नि. क्षेत्र-बैड़न.
 (ज) लगभग क्षेत्रफल—9.46 हेक्टर।

खसरा	आवेदित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
1082/1	जुज 0.01
1083/1	जुज 0.02
1083/2	जुज 0.02
1084	जुज 0.01
1085	जुज 0.01
1088	जुज 0.08
1089	जुज 0.01
1094	जुज 0.06
1095	जुज 0.04
1096	0.07
1097	0.08
1098	0.04
1099	0.04
1100	जुज 0.05
1101	जुज 0.01

(1)	(2)	(1)	(2)		
1342	जुज	0.03	2444	जुज	0.01
1343		0.02	2445	जुज	0.01
1344		0.06	2446		0.02
1345	जुज	0.15	2447		0.02
2372	जुज	0.09	2448		0.02
2373	जुज	0.08	2449	जुज	0.02
2374	जुज	0.04	2452	जुज	0.05
2375		0.02	2453	जुज	0.03
2376	जुज	0.01	2455	जुज	0.04
2379	जुज	0.03	2456	जुज	0.02
2382	जुज	0.03	2458	जुज	0.01
2383	जुज	0.02	2459/2	जुज	0.01
2384	जुज	0.03	2460	जुज	0.01
2397	जुज	0.01	2469/1	जुज	0.15
2399	जुज	0.02	2469/2	जुज	0.21
2400	जुज	0.05	2469/3	जुज	0.01
2401	जुज	0.05	2469/4	जुज	0.17
2402	जुज	0.10	2469/5	जुज	0.13
2403	जुज	0.04	2470/1		0.01
2404	जुज	0.05	2470/2		0.01
2405	जुज	0.08	2471/2	जुज	0.01
2409	जुज	0.02	2553	जुज	0.03
2414	जुज	0.03	2554	जुज	0.05
2415		0.06	2555	जुज	0.05
2416/1		0.07	2556	जुज	0.05
2416/2		0.06	2557	जुज	0.04
2424	जुज	0.01	2558	जुज	0.03
2425	जुज	0.01	2559	जुज	0.02
2428	जुज	0.02	2560	जुज	0.01
2430	जुज	0.13	2561	जुज	0.01
2431/1	जुज	0.07	2571	जुज	0.01
2434	जुज	0.04	2572		0.01
2435	जुज	0.01	2573		0.01
2438	जुज	0.12	2574		0.02
2439/1	जुज	0.01	2575		0.03
2439/2	जुज	0.04	2576	जुज	0.03
2440	जुज	0.11	2581	जुज	0.02
2443	जुज	0.04	2585	जुज	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)		
2586	जुज	0.05	2639	0.19	
2587	जुज	0.04	2641	0.14	
2588	जुज	0.03	2643	जुज	0.32
2589	जुज	0.04	2644	जुज	0.41
2590	जुज	0.05	2669		0.08
2591	जुज	0.05	2670/1		0.02
2592	जुज	0.04	2670/2		0.01
2593	जुज	0.04	2670/3		0.01
2594	जुज	0.04	2670/4	जुज	0.01
2595	जुज	0.07	2670/5	जुज	0.01
2596	जुज	0.06	2670/6	जुज	0.01
2597/1		0.03	2671	जुज	0.01
2597/2		0.03	2672	जुज	0.01
2598/1	जुज	0.03	2677/1	जुज	0.01
2598/2	जुज	0.03	2677/2	जुज	0.03
2599/1		0.03	2677/3	जुज	0.02
2599/2		0.04	2677/4	जुज	0.01
2600		0.04	2678	जुज	0.14
2601	जुज	0.01	2801	जुज	0.01
2602	जुज	0.01	2802/2	जुज	0.02
2603		0.02	2803	जुज	0.07
2604		0.02	2804	जुज	0.13
2605	जुज	0.04	2805	जुज	0.14
2606	जुज	0.05	2806	जुज	0.07
2607	जुज	0.05	2807	जुज	0.06
2609	जुज	0.03	2808	जुज	0.05
2610		0.03	2809	जुज	0.03
2611	जुज	0.05	2824	जुज	0.01
2612/1	जुज	0.03	2825	जुज	0.01
2612/2	जुज	0.03	2826	जुज	0.01
2613	जुज	0.07	2827	जुज	0.02
2614	जुज	0.06	2828	जुज	0.08
2615/2	जुज	0.06	2829	जुज	0.05
2616/2	जुज	0.03	2830	जुज	0.04
2617	जुज	0.02	2831	जुज	0.06
2618	जुज	0.01	2832	जुज	0.06
2620/3	जुज	0.01	2833	जुज	0.05
2621	जुज	0.01	2834	जुज	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)		
2835/1	जुज	0.01	4168	0.04	
2835/2	जुज	0.02	4169	जुज	0.01
2836/1	जुज	0.02	4170	0.03	
2836/2	जुज	0.01	4171	जुज	0.08
2837	जुज	0.03	4172	जुज	0.05
2838	जुज	0.06	4173	0.03	
2839/1	जुज	0.02	4174/1	0.03	
2839/2	जुज	0.03	4174/2	0.02	
2925	जुज	0.01	4175	0.01	
2953	जुज	0.08	4176	जुज	0.03
2954	जुज	0.07	4183	जुज	0.02
2955/1	जुज	0.09	4191/2	जुज	0.03
2956/2	जुज	0.07	4193	जुज	0.03
2957	जुज	0.03	4194	जुज	0.04
2958	जुज	0.11	4195/2	जुज	0.01
2960/1		0.01	4198	जुज	0.02
2960/2		0.01	योग . .	<u>9.46</u>	
2960/4		0.01			
2961	जुज	0.05	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कोल कनवेरर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.		
2962/1	जुज	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।		
2962/2	जुज	0.01			
2963	जुज	0.06			
2964		0.03	प्र. क्र. 382.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		
2965/1		0.03			
2965/2		0.03			
2966	जुज	0.05			
2967	जुज	0.01			
2987	जुज	0.01			
2988	जुज	0.01			
2989	जुज	0.04			
2990/2	जुज	0.09			
2991/1	जुज	0.04			
2992/1		0.03			
2993/2	जुज	0.01			
4164	जुज	0.02			
4165	जुज	0.03			
4166	जुज	0.03			
4167	जुज	0.02			

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम—हिरवाह, पटवारी हल्का नं. हिरवाह, 20, रा. नि. क्षेत्र-अमिलिया,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.90 हेक्टर।

खसरा	आवेदित रकमा	(1)	(2)
नम्बर	(हे. में)	2004 जु.	0.01
(1)	(2)	2005 जु.	0.03
111 जु.	0.03	2008 जु.	0.05
191 जु.	0.06	2009 जु.	0.06
194 जु.	0.01	2010	0.08
195 जु.	0.01	2011 जु.	0.03
196 जु.	0.02	2012 जु.	0.06
197 जु.	0.02	2013	0.05
221/1 जु.	0.01	2014	0.05
221/2 जु.	0.02	2015 जु.	0.04
222 जु.	0.03	2016 जु.	0.01
227 जु.	0.01	2098 जु.	0.06
228/2 ख जु.	0.02	2099/2 जु.	0.01
229 जु.	0.03	2100/2 जु.	0.06
230 जु.	0.02	2101 जु.	0.09
231 जु.	0.01	2103/1 जु.	0.09
232 जु.	0.01	2103/2	0.03
233 जु.	0.01	2103/3 जु.	0.01
255 जु.	0.01	2130 जु.	0.02
256 जु.	0.02	2131 जु.	0.16
257 जु.	0.03	2137 जु.	0.12
258 जु.	0.01	2138 जु.	0.01
259 जु.	0.01	2184/1 जु.	0.03
260 जु.	0.01	2184/2 जु.	0.03
261 जु.	0.03	2185 जु.	0.12
263 जु.	0.02	2186 जु.	0.06
264 जु.	0.01	2187 जु.	0.04
265 जु.	0.01	2188 जु.	0.13
267 जु.	0.01	2197 जु.	0.01
268 जु.	0.01	2198 जु.	0.02
271/2 जु.	0.01	2201/1 जु.	0.11
278 जु.	0.07	2202/1 जु.	0.02
279 जु.	0.01	2202/2 जु.	0.02
280 जु.	0.02	2202/3 जु.	0.01
281 जु.	0.01	2203/1 जु.	0.01
283 जु.	0.01	2203/2 जु.	0.01
284 जु.	0.01	2203/3 जु.	0.01
285 जु.	0.03	2223 जु.	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
2226 जु.	0.02	52 जुज	0.05
2227 जु.	0.05	56 जुज	0.06
2228 जु.	0.12	59 जुज	0.06
2319/1 जु.	0.03	योग . .	0.18
2319/2 जु.	0.02		
2320/1 जु.	0.02		
2320/2 जु.	0.01		
2328 जु.	0.01		
2339/1 जु.	0.02		
2341 जु.	0.01		
2342 जु.	0.05		
2343 जु.	0.04		
2344 जु.	0.02		
2377	0.03		
योग . .	2.90		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 384.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
 (ख) तहसील—सिंगरौली
 (ग) ग्राम का नाम.—बिलौंजी भटवा, पटवारी हल्का नं. करकोसा 21, रा. नि. क्षेत्र-बैड़न.
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टर।

खसरा	आवेदित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
51 मि. जुज	0.01

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 386.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
 (ख) तहसील—सिंगरौली
 (ग) ग्राम का नाम.—धतुराबरवा, पटवारी हल्का नं. हर्दी, 22, रा. नि. क्षेत्र-बैड़न.
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.01 हेक्टर।

खसरा	आवेदित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
31/1 क जुज	0.09
31/1 ख जुज	0.05
31/2 जुज	0.02
32 जुज	0.01
37 जुज	0.01
38 जुज	0.07
39	0.07
40 जुज	0.02
43 जुज	0.02
44	0.06
45	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
46 जुज	0.03	551/3 जुज	0.03
49 जुज	0.05	553 जुज	0.01
53/1 क	0.02	828 जुज	0.01
53/1 ख	0.01	837 जुज	0.04
53/2 जुज	0.05	838 जुज	0.01
76 जुज	0.01	841 जुज	0.01
78 जुज	0.03	844 जुज	0.01
79 जुज	0.05	846 जुज	0.06
80 जुज	0.05	982 जुज	0.02
81 जुज	0.06	986 जुज	0.03
118 जुज	0.01	988 जुज	0.05
119 जुज	0.01	989 जुज	0.04
120 जुज	0.01	991 जुज	0.01
121 जुज	0.02	1002 जुज	0.02
124 जुज	0.03	1003/1 जुज	0.01
126 जुज	0.04	1003/2 जुज	0.01
127 जुज	0.06	योग . .	<u>2.01</u>
128 जुज	0.05		
129 जुज	0.06	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.	
130 जुज	0.04	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैड़न) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
131 जुज	0.03		
132 जुज	0.02		
133 जुज	0.01	प्र. क्र. 388.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
137	0.03		
288 जुज	0.02		
290 जुज	0.03		
291 जुज	0.04		
294 जुज	0.02		
295 जुज	0.02		
296 जुज	0.01		
297 जुज	0.05		
298 जुज	0.01		
299 जुज	0.01		
301 जुज	0.01		
545 जुज	0.05		
547/1 जुज	0.04		
548 जुज	0.06		
551/2 जुज	0.02		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम.—अमलोरी, पटवारी हल्का नं. अमलोरी,

14, रा. नि. क्षेत्र-बैड़न.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.273 हेक्टर.

खसरा	आवेदित रकमा	(1)	(2)
नम्बर	(हे. में)	318/1 जुज	0.030
(1)	(2)	318/2 जुज	0.040
233/3 क जुज	0.230	319/2 क जुज	0.040
233/3 ख जुज	0.450	319/2 ख जुज	0.010
253 जुज	0.070	319/3 जुज	0.110
298/2 जुज	0.060	320/1 जुज	0.020
307 जुज	0.010	320/2 क जुज	0.051
308/1 क जुज	0.030	320/2 ख	0.069
308/1 ख जुज	0.010	321 जुज	0.100
308/2 जुज	0.010	324/1 शामिल नं. 323/1 जुज	0.030
309/1 जुज	0.040	324/2 शामिल नं. 323/2 जुज	0.030
309/2 जुज	0.060	327/2 ख जुज	0.010
310/1 जुज	0.070	331 जुज	0.020
310/2 जुज	0.060	332 जुज	0.150
310/3 जुज	0.040	333 जुज	0.208
310/4 जुज	0.040	334/1 क जुज	0.310
310/5 जुज	0.090	334/1 ख जुज	0.300
310/6 जुज	0.130	584/1 ग	0.020
311/2 जुज	0.005	632/1 जुज	0.020
311/6 जुज	0.005	632/2 जुज	0.050
312/1 जुज	0.020	634/1	0.079
312/2 जुज	0.008	634/2	0.029
312/3 जुज	0.008	634/3	0.020
312/4 जुज	0.009	634/4	0.019
312/5	0.005	634/5	0.019
312/6 जुज	0.038	634/6	0.009
313/1 जुज	0.024	635/1 क(1)	0.034
313/2 जुज	0.009	635/1 क(2)	0.033
313/3 जुज	0.009	636/1 जुज	0.020
313/4 जुज	0.009	636/4 जुज	0.005
313/5 जुज	0.005	636/5 जुज	0.005
313/6 जुज	0.024	636/6 जुज	0.020
315/1 जुज	0.040	637/2 जुज	0.060
315/2 जुज	0.040	638/1 जुज	0.021
316/1 जुज	0.078	638/2	0.069
316/2 क	0.022	639/1	0.069
317/1 जुज	0.127	639/2 जुज	0.040
317/2	0.003	639/3	0.069
317/3	0.003	639/4 जुज	0.050
317/4	0.003	640/2 क जुज	0.030
317/5	0.004	640/2 ख जुज	0.060
		640/2 ग जुज	0.090

(1)	(2)	(1)	(2)
640/2 घ जुज	0.070	653/1 ख 2	0.006
640/3 क जुज	0.190	653/1 ख 3	0.006
640/3 ख 1 जुज	0.080	653/1 ख 4	0.006
640/3 ख 2 जुज	0.070	653/1 ख 5	0.006
640/3 ख 3 जुज	0.060	653/1 ख 6	0.006
640/4 क जुज	0.090	653/1 ख 7	0.008
640/4 ख जुज	0.020	653/1 ग जुज	0.010
640/4 ग जुज	0.020	653/1 ड जुज	0.010
640/4 घ जुज	0.020	653/1 च जुज	0.015
642/1 च जुज	0.050	683/1 क जुज	0.012
642/1 ज जुज	0.070	685/1 जुज	0.010
643/1 क 1 जुज	0.040	686/1 जुज	0.009
643/1 क 2 जुज	0.040	687/1 जुज	0.009
643/1 ख जुज	0.094	688/1 ड जुज	0.011
643/2 क 1	0.032	689/1 क 2 जुज	0.090
643/2 क 2	0.032	696/1 जुज	0.010
643/2 क 3	0.032	696/2 जुज	0.010
643/2 क 4	0.032	697/1 जुज	0.010
643/2 ख जुज	0.120	697/2 जुज	0.010
644/2 क जुज	0.010	697/3 जुज	0.010
644/2 ख जुज	0.010	698	0.045
644/2 ग जुज	0.010	699/1	0.091
644/2 घ जुज	0.010	699/2	0.091
645/1 जुज	0.010	700/1 क 1	0.012
645/2 जुज	0.010	700/1 क 2 जुज	0.080
645/3 जुज	0.010	700/1 क 3 जुज	0.110
645/4 जुज	0.010	700/1 क 4 जुज	0.120
651/1 जुज	0.168	700/1 क 6 जुज	0.110
651/2 जुज	0.020	700/1 ख जुज	0.460
652/1 जुज	0.050	700/2 जुज	0.358
652/2 जुज	0.040	753/6 जुज	0.010
652/3 जुज	0.040	योग . .	<u>8.273</u>
652/4 जुज	0.040		
652/5 जुज	0.040		
652/6 जुज	0.020		
652/7 जुज	0.040		
652/8 जुज	0.050		
652/9 जुज	0.090		
652/10 जुज	0.080		
652/11 जुज	0.110		
652/12 जुज	0.110		
653/1 ख 1	0.007		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिस्पर्जनियों का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली (बैंडून) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 217-वाचक-प्र.क्र. 1-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—कुक्षी
- (ग) ग्राम—निम्बोल (पूरक)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.320 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
निजी	
(1)	(2)
367/1ख	0.230
471	0.798
467	0.465
472/2	0.390
468/1/2	0.042
470/1	0.016
465	0.120
464/2	0.864
466/2	0.352
159/1/1, 159/3/1	0.043
योग :	<u>3.320</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 159.250 मी. से निकलने वाली के लिये आवश्यकता दोहोट डी.एम. 80 आर.डी. 0 मी. से 1090 के बीच नहर निर्माण हेतु।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 212-वाचक-प्र.क्र. 2-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—कुक्षी
- (ग) ग्राम—मसान्या (पूरक)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.908 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
337/3/1	0.145
337/8	0.288
337/4/2/1	0.192
337/4/1/1	0.216
337/5/1	0.144
337/6/1	0.102
337/7	0.025
344	0.253
318/1	0.452
235	0.506
234	0.175
233	0.215
232	0.151
146/3/2/1	0.027
145/1/2, 145/2	0.880
128	0.680
130/1ख 1	0.196
127	0.850
125	0.270
314/4/1	0.198
314/2/1	0.324
155/1/1	0.255
314/5	0.026
335/2/1	0.328
331/3/1	0.010
योग :	<u>6.908</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः— औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 156200 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 17 मलवाडा वितरण नहर की आर.डी. 0 से 440 मी. तक व आर.डी. 156500 मी. से 158200 मी. से निकलने वाली डी.एम. 78 एवं 158200 डी.एम. 78 एवं 79 के बीच नहर निर्माण हेतु।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1945-भू-अर्जन-1-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—सिराली
(ग) नगर/ग्राम—कड़ोलाराघो
(घ) लगभग क्षेत्र—0.202 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
109/2	0.032
108/1	0.574
108/2	0.142
107/1	0.182
107/2	0.405
19/2	0.081
20	0.142
योग :	1.558

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—इमलीढाना जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1947-भू-अर्जन-2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम—छुरीखाल
(घ) लगभग क्षेत्र—1.558 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
109/2	0.032
108/1	0.574
108/2	0.142
107/1	0.182
107/2	0.405
19/2	0.081
20	0.142
योग :	1.558

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—जामन्या जलाशय से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 235-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—खस्तौनिया नं. 2
- (घ) क्षेत्रफल—0.30 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी भूमि का विवरण

87	0.02	0.47
88	0.09	
90	0.02	
92	0.03	
93/1	0.12	
93/2		
93/4		
योग (अ) : 5 किता	<u>0.28</u>	

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण

99	0.02	
योग (ब) : 1 किता	<u>0.02</u>	
महायोग (अ+ब) 6 किता	<u>0.30</u>	

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 237-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—रामनगर
- (घ) क्षेत्रफल—0.08 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

1321	0.01
1325	0.01
1327	0.01
1330	0.01
1334	0.01
1370	<u>0.01</u>
1427	<u>0.01</u>
1428	<u>0.01</u>
योग (अ) : 8 किता	<u>0.08</u>

(ब) शासकीय भूमि का विवरण निल

महायोग (अ+ब) 8 किता 0.08

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है।

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा =0.08 है।

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकवा=निरंक

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकवा =0.08 है।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 239-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—चंदैनिया
- (घ) क्षेत्रफल—0.47 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

182	0.01
184	0.02
185	0.01
186	0.03
187	0.06
189	0.02
193	0.03
196	0.03
199	0.03
208	0.03
210	0.04
214	0.03
215	0.03
218	0.04
219	0.01
270	0.02
271	0.01
योग (अ) :	<u>0.45</u>

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

272	0.02
योग (ब)	<u>0.02</u>

महायोग (अ+ब)

0.47

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.45 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.02 हे.

प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा 0.47 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता

है।—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. 250-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बघेलान
- (ग) ग्राम—अबेर कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—19.538 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	
558	0.064	—
557	0.222	—
577	0.347	—
578	0.06	—
556	1.133	—
555	0.06	—
382	0.535	—
651	0.182	—
447	0.202	—
927	0.333	—
576	0.118	—
584	0.790	—
925	0.421	—
572	0.041	—
334	0.008	—
935	0.008	—
940	0.202	—
1313	0.323	—
1314	0.114	—
1315	0.364	—
1316	0.134	—
1317	0.222	—
1318	0.250	—
1319	0.202	—

(1)	(2)	(1)	(2)		
1320	0.177	—	3418	0.115	—
1092	0.295	—	2324	—	0.028
1093	0.089	—	2345	0.192	—
1094	0.202	—	2346	0.008	—
1126	0.303	—	2337	0.081	—
1127	0.470	—	2344	0.008	—
1128	0.165	—	2490	0.012	—
1129	0.189	—	2483	0.016	—
1298	0.081	—	2484	0.012	—
1299	0.081	—	2497	0.066	—
1306	0.361	—	2500	0.040	—
1308	0.243	—	2522	0.073	—
1305	0.280	—	2523	—	0.006
1089/1	0.162	—	2531	0.036	—
1304	0.061	—	2532	0.057	—
1303	0.135	—	2530	0.025	—
1636	0.222	—	2847	0.024	—
1637	0.545	—	2848	0.020	—
1637	0.351	—	2851	0.041	—
1629	0.405	—	2852	0.029	—
1623	0.363	—	2849	0.089	—
1617	0.016	—	2850	0.153	—
1622	0.210	—	2846/2	0.008	—
1633	0.104	—	2461/1	0.049	—
1632	0.121	—	2842	0.101	—
1690	0.399	—	2841	0.008	—
1689	0.128	—	2865	0.166	—
1653	0.566	—	2871	0.042	—
1652	0.061	—	2872	0.008	—
1494	0.101	—	3037	0.045	—
1488	0.141	—	3036	0.048	—
1490	0.150	—	3039	0.012	—
1884/2	0.162	—	3038	0.045	—
1883	0.162	—	3055	0.004	—
1896	0.161	—	3056	0.008	—
1842	0.478	—	3200	0.401	—
1828	0.266	—	3225	0.012	—
1883/2	0.081	—	3190	0.152	—
1883/1	0.073	—	3418	0.115	—
1820	0.202	—	3417	0.052	—
1821	0.162	—	3417	0.133	—
1822	0.085	—	3406	0.008	—
1824	0.072	—	3603	0.025	—
1641	0.179	—	3602	0.040	—
1913	0.101	—	3595	0.061	—
1955	0.215	—	3614	0.121	—
1964	0.008	—	3542	0.041	—
1966	0.061	—	1946	0.081	—
1968	0.065	—	1947	0.101	—
3201	0.020	—	2841	0.008	—
			2842	0.101	—
			930	0.346	—
		योग . .	19.504	0.034	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 252-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—पतौरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.420 हे.

खसरा	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	
48	0.040	—
49	0.040	—
3/2ख	0.283	—
35/639	0.057	—
योग . .	<u>0.420</u>	—

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2008-09-संशाओंधित
अधिसूचना।—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो

गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—मण्डला
- (ग) ग्राम—सुरहली प.ह.नं. 71
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.90 हेक्टर।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
223	0.20
303	0.06
1269/2	0.13
306	0.20
1134	0.06
305/1	0.09
1269/1	0.16
योग :	<u>0.90</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सुरहली जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 1 मार्च 2011

प्र. क्र. 22-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम—ईशानगर	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.370 हेक्टर.		
अर्जित की जा रही भूमि की सूची	3024	0.080
खसरा नम्बर अर्जित रकबा	3025	0.140
(हेक्टर में)	3033	0.160
(1) (2)	3035	0.100
2930 0.010	3037	0.160
2931 0.300	3054	0.100
2933 0.300	3055	0.230
2932 0.180	3059	0.170
2934 0.200	3060	0.250
2971 0.300	3063	0.200
2975 0.340	3065	0.050
2939 0.220	3056	0.100
2940 0.010	3057	0.180
2941 0.800	3061	0.130
2976 0.350	3064	0.200
2942 0.230	3068	0.240
2943 0.300	3069	0.240
2944 0.200	3144	0.260
2972 0.300	3150	0.200
2947 0.060	3151	0.220
2954 0.380	3145	0.330
2955 0.120	3152	0.300
2957 0.240	3398	0.980
2958 0.190	3167	0.030
2959 0.190	3197	0.280
2952 0.150	3198	0.030
2970 0.340	3204	0.070
2974 0.200	3205	0.370
2950 0.370	3423	1.230
2973 0.300	2924	0.080
2977 0.350	2945	0.040
2978 1.000	2927	0.480
2979 0.380	2949	0.280
3009 0.160	2953	0.330
3028 0.120	2960	0.300
3011 0.270	2961	0.200
3062 0.100	2962	0.250
3067 0.100	2963	0.370
3017 0.090	2964	0.060
3019 0.060	2965	0.110
3021 0.490	2966	0.180
3022 0.120	2967	0.480
3023 0.050	2968	0.770
	2969	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
2946	0.120	3051	0.090
2956	0.020	3052	0.370
2981	0.480	3085	0.450
2982	0.290	3031	0.220
2983	0.510	3043	0.080
2990	0.100	3044	0.300
2996	0.180	3045	0.100
2997	0.020	3046	0.100
2998	0.280	3050	0.050
2999	0.230	3053	0.250
3000	0.200	3084	0.440
3001	0.490	3034	0.370
3003	0.080	3083	0.730
3004	0.560	3036	0.600
3005	0.280	3039	0.400
3006	0.690	3042	2.410
3010	0.110	3086	1.080
3007	0.020	3087	0.020
3008	0.230	3088	0.480
3014	0.100	3089	0.580
3015	0.420	3090	0.580
3012	0.260	3091	0.460
3013	0.100	3092	0.350
3016	0.170	3093	0.380
3020	0.210	3094	0.360
3018	0.020	3095	0.090
3026	0.270	3143	0.200
3027	0.100	3041	0.500
3029	0.250	3148	0.010
3030	0.230	3058	0.130
3047	0.080	3098/1	0.060
3049	0.110	3096	0.220

(1)	(2)	(1)	(2)
3133	0.130	3148	0.470
3138	0.230	3154	0.210
3141	0.100	3164	0.160
3142	0.140	3149	0.030
3157	0.110	3160	0.350
3168	0.090	3161	0.290
3098/3	0.070	3163	0.400
3097	0.200	3173	0.300
3135	0.180	3175	0.290
3140	0.150	3174	0.250
3155	0.100	3196	0.150
3165	0.110	3199	0.150
3169	0.100	3203	0.280
3171	0.200	3206	0.120
3132	0.040	3207	0.070
3131	0.200	3208	0.100
3166	0.220	3209	0.040
3202	0.120	3177	0.070
3098/2	0.070	3200	0.050
3134	0.130	3201	0.170
3136	0.170	3424	0.380
3137	0.020	3425	0.210
3139	0.190	3428	1.000
3156	0.080	कुल रकबा हेक्टेयर में . .	<u>51.370</u>
3158	0.100		
3170	0.120	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—रजिया तालाब के भराव हेतु,	
3172	0.230	(3) भूमि के नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैः।	
3146	0.220	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
3147	0.180		
3153	0.380	ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,	
3159	0.450		

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक/285/भू-अर्जन/11

खरगोन दिनांक 04 मार्च 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

//अनुसूची//

(1) भूमि का वर्णन	:	आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाए तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाए
जिला	:	खरगोन
तहसील	:	महेश्वर
ग्राम का नाम	:	सुलगांव
लगभग क्षेत्रफल	:	36071 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाए तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाए

शीट क्रमांक	खसरा नंबर	भू-खण्ड क्रमांक	झूब का रकबा वर्ग मीटर में
1	2	3	4
3	225	2	48
3	225	3	62
3	225	4	36
3	225	5	10
3	225	6	13
3	225	7	20
3	225	8	56
3	225	9	29
3	225	10	24
3	225	11	22
3	225	12	108
3	225	13	37
3	225	14	16
3	225	15	29
3	225	16	28

3	225	17	35
3	225	20	30
3	225	21	33
3	225	22	102
3	225	23	88
3	225	24	63
3	225	25	90
3	225	26	13
3	225	27	13
3	225	29	28
3	225	30	15
3	225	31	45
3	225	32	49
3	225	33	50
3	225	34	97
3	225	36	10
3	225	37	55
3	225	38	41
3	225	39	50
3	225	40	40
3	225	41	60
3	225	42	56
3	225	43	50
3	225	45	68
3	225	46	27
3	225	47	25
3	225	48	41
3	225	49	88
3	225	50	66
3	225	51	53
3	225	52	84
3	225	54	8
3	225	55	28
3	225	56	36
3	225	57	5
3	225	58	29
3	225	59	24
3	225	60	32
3	225	61	13
3	225	62	73
3	225	63	44
3	225	64	34
3	225	65	33

3	225	66	32
3	225	67	50
3	225	68	46
3	225	69	37
3	225	70	32
3	225	71	32
3	225	72	60
3	225	73	60
3	225	74	62
3	225	75	37
3	225	76	73
3	225	77	53
3	225	78	48
3	225	79	34
3	225	80	24
3	225	81	16
3	225	82	18
3	225	83	18
3	225	84	45
3	225	85	41
3	225	86	34
3	225	87	12
3	225	88	12
3	225	89	27
3	225	90	40
3	225	92	30
3	225	94	22
3	225	95	33
3	225	96	12
3	225	97	29
3	225	98	26
3	225	99	1107
3	225	101	2
3	225	102	43
3	225	103	2
3	225	104	2
3	225	105	2
3	225	106	3
3	225	107	3
3	225	108	2
3	225	109	2
3	225	110	2
3	225	111	2
3	225	112	2

3	225	113	3
3	225	114	3
3	225	41/ 187	21
1	306	146	30
1	306	149	45
1	306	150	195
1	306	152	220
1	306	153	61
1	306	154	60
1	306	155	55
1	306	156	52
1	306	157	60
1	306	158	78
1	306	159	78
1	306	160	78
1	306	161	78
1	306	162	56
1	306	163	58
1	306	164	76
1	306	165	180
1	306	166	88
1	306	169	52
1	306	175	86
1	306	176	72
1	306	177	92
1	306	178	145
1	306	179	100
1	306	190	66
1	306	232	65
1	306	233	70
1	306	234	120
1	306	236	109
1	306	237	39
1	306	238	110
1	306	239	56
1	306	240	33
1	306	241	33
1	306	242	49
1	306	243	49
1	306	244	49
1	306	245	26
1	306	246	49
1	306	247	63
1	306	248	61

1	306	249	25
1	306	250	15
1	306	251	68
1	306	253	65
1	306	254	234
1	306	255	175
1	306	256	120
1	306	257	50
1	306	258	50
1	306	259	185
1	306	261	150
1	306	262	115
1	306	263	115
1	306	265	40
1	306	266	62
1	306	267	36
1	306	268	62
1	306	269	17
1	306	270	155
1	306	271	40
1	306	272	108
1	306	273	226
1	306	274	68
1	306	275	68
1	306	276	50
1	306	277	50
1	306	278	50
1	306	279	50
1	306	281	90
1	306	282	63
1	306	283	26
1	306	284	127
1	306	285	40
1	306	288	20
1	306	290	85
1	306	291	85
1	306	292	64
1	306	293	23
1	306	294	30
1	306	295	85
1	306	296	92
1	306	297	85
1	306	298	58
1	306	299	200

1	306	300	85
1	306	302	65
1	306	303	25
1	306	304	129
1	306	305	165
1	306	306	194
2	306	307	135
2	306	308	65
2	306	309	65
2	306	310	32
2	306	312	45
2	306	314	35
2	306	315	21
2	306	316	75
2	306	317	75
2	306	318	165
2	306	319	167
2	306	320	70
2	306	321	88
2	306	322	125
2	306	323	55
2	306	324	162
2	306	325	22
2	306	326	22
2	306	327	22
2	306	328	22
2	306	330	102
2	306	331	145
2	306	332	50
2	306	333	28
2	306	334	32
2	306	335	50
2	306	336	145
2	306	337	85
2	306	338	46
2	306	340	10
2	306	341	18
2	306	343	155
2	306	344	130
2	306	346	1032
2	306	347	38
2	306	348	38
2	306	349	45
2	306	350	157

2	306	351	42
2	306	352	8
2	306	354	106
2	306	355	273
2	306	356	160
2	306	357	39
2	306	358	48
2	306	360	210
2	306	362	40
2	306	363	57
2	306	367	6
2	306	368	219
2	306	369	606
2	306	370	151
2	306	371	75
2	306	372	100
2	306	373	100
2	306	374	100
2	306	376	125
2	306	377	111
2	306	378	122
2	306	379	134
2	306	380	48
2	306	381	50
2	306	382	50
2	306	383	50
2	306	385	92
2	306	386	102
2	306	387	30
2	306	388	24
2	306	389	70
2	306	392	30
2	306	394	53
2	306	395	76
2	306	396	89
2	306	397	88
2	306	398	65
2	306	399	118
1	306	254/ 404	16
1	306	254/ 405	172
1	306	254/ 406	91
2	306	364/ 408	111
2	306	364/ 409	325
1	306	233/ 411	70

4	217/1	118	18
4	217/1	119	51
4	217/1	120	16
4	217/1	122	55
4	217/1	123	173
4	217/1	124	75
4	217/1	125	31
4	217/1	127	62
4	217/1	128	68
4	217/1	129	20
4	217/1	130	39
4	217/1	132	175
4	217/1	133	48
4	217/1	134	35
4	217/1	135	48
4	217/1	136	20
4	217/1	138	75
4	217/1	139	30
4	217/1	140	370
4	217/1	141	66
4	217/1	142	10
4	217/1	143	22
4	217/1	144	44
4	217/1	145	34
4	217/1	147	48
4	217/1	148	70
4	217/1	149	53
4	217/1	151	72
4	217/1	152	36
4	217/1	153	100
4	217/1	154	23
4	217/1	155	210
4	217/1	156	63
4	217/1	157	57
4	217/1	158	65
4	217/1	159	87
4	217/1	160	33
4	217/1	161	85
4	217/1	163	25
4	217/1	164	33
4	217/1	165	8
4	217/1	166	24
4	217/1	167	28
4	217/1	168	50

4	217/1	169	57
4	217/1	170	72
4	217/1	171	76
4	217/1	172	104
4	217/1	173	100
4	217/1	174	93
4	217/1	175	93
4	217/1	176	90
4	217/1	177	100
4	217/1	178	18
4	217/1	179	108
4	217/1	180	90
4	217/1	181	82
4	217/1	182	42
4	217/1	183	38
4	217/1	184	23
4	217/1	185	10
4	217/1	186	5
1	306	22 पैकी	16
1	306	23 पैकी	2
1	306	26 पैकी	46
1	306	28 पैकी	65
1	306	29	95
1	306	31	36
1	306	32	50
1	306	33	28
1	306	34 पैकी	55
1	306	35 पैकी	25
1	306	36 पैकी	7
1	306	42 पैकी	280
1	306	43 पैकी	59
1	306	44 पैकी	30
1	306	45 पैकी	5
1	306	49 पैकी	70
1	306	50	88
1	306	51	50
1	306	52	70
1	306	53	81
1	306	54	80
1	306	55	81
1	306	56	81

1	306	57	92
1	306	58	95
1	306	59	206
1	306	60	18
1	306	62	36
1	306	63	27
1	306	64	35
1	306	66	15
1	306	69	40
1	306	70	58
1	306	71	50
1	306	72	35
1	306	73	34
1	306	74	57
1	306	75	26
1	306	76	30
1	306	78	91
1	306	79	92
1	306	80	65
1	306	81	51
1	306	82	38
1	306	83	83
1	306	84	135
1	306	85	130
1	306	86	125
1	306	87	121
1	306	89	102
1	306	90	105
1	306	91	49
1	306	92	120
1	306	93	74
1	306	94	103
1	306	95	23
1	306	96	106
1	306	97	83
1	306	98	79
1	306	99	137
1	306	100	52
1	306	101	52
1	306	102	43
1	306	103	43
1	306	104	60
1	306	105	60
1	306	106	52

1	306	107	57
1	306	108	90
1	306	109	50
1	306	110	90
1	306	111	104
1	306	112	280
1	306	113	104
1	306	114	111
1	306	115	46
1	306	116	46
1	306	117	167
1	306	119	7
1	306	120	22
1	306	121	20
1	306	122	44
1	306	123	150
1	306	125	25
1	306	126	95
1	306	127	66
1	306	128	47
1	306	129	160
1	306	131	90
1	306	132	43
1	306	133	5
1	306	134	71
1	306	135	70
1	306	137	26
1	306	139	90
1	306	140	28
1	306	141	28
1	306	142	26
1	306	143	26
1	306	144	30
1	306	145	30
1	306	147	34
1	306	148	34
1	306	167	88
1	306	168	88
1	306	171	106
1	306	172	123
1	306	173	86
1	306	174	55
1	306	181	45
1	306	182	15

1	306	183	14
1	306	184	80
1	306	185	260
1	306	186	35
1	306	187	12
1	306	188	12
1	306	189	85
1	306	191	108
1	306	192	32
1	306	194	781
1	306	196	40
1	306	198	220
1	306	199	63
1	306	200	65
1	306	201	63
1	306	202	126
1	306	203	52
1	306	204	52
1	306	205	52
1	306	206	52
1	306	207	60
1	306	208	80
1	306	209	60
1	306	210	70
1	306	211	60
1	306	212	70
1	306	213	70
1	306	214	70
1	306	215	320
1	306	217	30
1	306	218	30
1	306	219	30
1	306	220	30
1	306	221	30
1	306	222	35
1	306	223	33
1	306	224	33
1	306	225	22
1	306	227	165
1	306	228	75
1	306	229	75
1	306	230	56
1	306	231	65
1	306	252	42

1	306	286	40
1	306	289	25
1	306	198/ 402	36
1	306	198/ 403	42
	योग	499	36071

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2
228,229	मकान—4, पशुबाड़ा
231 / 1	मकान
231 / 3	मकान
245 / 1	मकान—2
250	पशुबाड़ा
254 / 2	मकान
254 / 1	मकान
256	पशुबाड़ा
257	मकान
273	मकान
276	मकान—6
279,280	पशुबाड़ा
206 / 1	मकान—2 गोबर गैंस
219 / 4, 249	पशुबाड़ा—3, होज
251 / 1	पशुबाड़ा
252 / 2, 253 / 2	मकान—4

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	मद	संपत्ति का विवरण
2	3	4
284	चरागाह	त्रिवेणी ओटला सार्वजनिक, सीतला माता मंदिर सार्वजनिक, आश्रम ट्रस्ट व्यवस्थापक महादेव पिता दगडू पाटीदार सह सदस्य चार, शिव मंदिर एवं धर्मशाला पक्का, धर्मशाला पक्की, नाग मंदिर सार्वजनिक
224	चरागाह	38 पम्प हाउस, 46 पाईप लाईन, शिवलिंगे दो, पक्का थाला सार्वजनिक

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1—कलेक्टर जिला—खरगोन, 2—भू—अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3—कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4—महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)
कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला—खरगोन

क्रमांक / 284 / भू-अर्जन / 11

खरगोन दिनांक 04/03/11

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता छें

//अनुसूची//

(1) भूमि का वर्णन	:	आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएँ तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएँ
जिला	:	खरगोन
तहसील	:	महेश्वर
ग्राम का नाम	:	पथराड़ खुद्द
लगभग क्षेत्रफल	:	88365 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएँ तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएँ

शीट क्रमांक	खसरा नंबर	भू-खण्ड क्रमांक	झूब का रकबा वर्ग मीटर में
1	2	3	4
3	89	415	272
3	89	416	552
3	89	417	159
3	89	418	99
3	89	451	98
3	89	452	66
3	89	453	74
3	89	454	24
3	89	455	24
3	89	456	24
3	89	457	64
3	89	458	62
3	89	459	62
3	89	461	99
3	89	462	92
3	89	463	54

3	89	464	83
3	89	466	58
3	89	467	109
3	89	469	106
3	89	470	106
3	89	471	141
3	89	472	73
3	89	473	36
3	89	475	20
3	89	476	55
3	89	477	70
3	89	478	105
3	89	479	73
3	89	480	105
3	89	481	103
3	89	482	73
3	89	483	73
3	89	484	73
3	89	485	34
3	89	486	20
3	89	487	110
3	89	489	45
3	89	490	83
3	89	491	149
3	89	492	50
3	89	493	71
3	89	494	137
3	89	495	137
3	89	496	88
3	89	497	88
3	89	498	88
3	89	499	130
3	89	500	61
3	89	501	55
3	89	502	55
3	89	504	72
3	89	505	95
3	89	506	68
3	89	507	68
3	89	508	93
3	89	509	86
3	89	510	140
3	89	511	184
3	89	512	142

3	89	513	142
3	89	514	186
3	89	516	130
3	89	517	30
3	89	518	30
3	89	519	33
3	89	520	33
3	89	521	72
3	89	522	72
3	89	524	55
3	89	525	48
3	89	526	61
3	89	527	81
3	89	528	41
3	89	529	80
3	89	530	216
3	89	531	160
3	89	533	84
3	89	534	75
3	89	535	217
3	89	536	174
3	89	537	174
3	89	538	69
3	89	539	195
3	89	540	174
3	89	542	54
3	89	543	31
3	89	544	113
3	89 ,122/8	545	59
3	89	415/ 586	272
3	89	415/ 587	272
3	89	544 / 593	161
3	89	544/ 594	192
3	89	544/ 595	86
3	122/8	406	116
3	122/8	407	216
3	122/8	408	130
3	122/8	409	58
3	122/8	410	58
3	122/8	411	119
3	122/8	413	857
3	122/8	546	81
3	122/8	547	21
3	122/8	548	133

3	122/8	549	84
3	122/8	550	44
3	122/8	551	53
3	122/8	552	52
3	122/8	553	130
3	122/8	554	89
3	122/8	555	132
3	122/8	557	1330
3	122/8	558	638
3	122/8	559	692
3	122/8	560	1320
3	122/8	561	1312
3	122/8	562	1320
3	122/8	563	1364
3	122/8	566	575
3	122/8	567	726
3	122/8	568	465
3	122/8	569	288
3	122/8	570	420
3	122/8	571	420
3	122/8	572	445
3	122/8	573	678
3	122/8	574	459
3	122/8	575	206
3	122/8	576	403
3	122/8	577	500
3	122/8	578	32
3	122/8	413/ 585	65
3	122/8	413/ 600	18
4	279/1, 279/2	1	1204
4	279/1, 279/2	2	669
4	279/1, 279/2	3	1160
4	279/1, 279/2	4	1692
4	279/1, 279/2	5	581
4	287	6	836
4	279/1, 279/2	11	122
4	279/1, 279/2	13	55
4	279/1, 279/2	14	83
4	279/1, 279/2	15	78
4	279/1, 279/2	16	18
4	279/1, 279/2	17	57
4	279/1, 279/2	19	59
4	279/1, 279/2	22	63
4	279/1, 279/2	25	65

4	279/1, 279/2	26	47
4	279/1, 279/2	28	42
4	279/1, 279/2	30	252
4	279/1, 279/2	32	490
4	279/1, 279/2	34	450
4	279/1, 279/2	36	75
4	279/1, 279/2	37	75
4	279/1, 279/2	38	106
4	279/1, 279/2	39	119
4	279/1, 279/2	40	58
4	279/1, 279/2	41	68
4	279/1, 279/2	42	88
4	279/1, 279/2	43	110
4	279/1, 279/2	44	164
4	279/1, 279/2	45	529
4	279/1, 279/2	46	231
4	287	48	34
4	287	49	59
4	287	50	430
4	287	51	150
4	279/1, 279/2	52	29
4	279/1, 279/2, 287	54	140
4	279/1, 279/2, 287	55	83
4	279/1, 279/2	57	112
4	279/1, 279/2	58	18
4	279/1, 279/2	60	18
4	279/1, 279/2	61	15
4	279/1, 279/2	62	100
4	279/1, 279/2	63	115
4	279/1, 279/2	64	74
4	279/1, 279/2	66	28
4	279/1, 279/2	67	51
4	279/1, 279/2	68	37
4	279/1, 279/2	69	193
4	279/1, 279/2	70	52
4	279/1, 279/2	71	53
4	279/1, 279/2	72	134
4	279/1, 279/2	75	97
4	279/1, 279/2	74	75
4	279/1, 279/2	76	48
4	279/1, 279/2	77	254
4	279/1, 279/2	78	199
4	279/1, 279/2	79	163
4	279/1, 279/2	81	84

4	279/1, 279/2	82	41
4	279/1, 279/2	83	72
4	279/1, 279/2	84	56
4	279/1, 279/2	85	39
4	279/1, 279/2	86	70
4	279/1, 279/2	87	163
4	279/1, 279/2	89	34
4	279/1, 279/2	90	34
4	279/1, 279/2	91	35
4	279/1, 279/2	92	47
4	279/1, 279/2	93	40
4	279/1, 279/2	94	37
4	279/1, 279/2	95	53
4	279/1, 279/2	96	77
4	279/1, 279/2	97	50
4	279/1, 279/2	98	50
4	279/1, 279/2	99	221
4	279/1, 279/2	100	88
4	279/1, 279/2	103	131
4	279/1, 279/2	104	341
4	279/1, 279/2	105	254
4	279/1, 279/2	106	81
4	279/1, 279/2	107	125
4	279/1, 279/2	108	60
4	279/1, 279/2	109	56
4	279/1, 279/2, 242	111	460
4	279/1, 279/2, 240/1, 240/2	112	476
4	240/1, 240/2	113	117
4	240/1, 240/2	114	86
4	279/1, 279/2, 240/1, 240/2	116	261
4	279/1, 279/2	117	133
4	279/1, 279/2	118	30
4	279/1, 279/2	119	68
4	279/1, 279/2	120	273
4	279/1, 279/2	122	90
4	279/1, 279/2	123	56
4	279/1, 279/2	124	54
4	279/1, 279/2	125	73
4	279/1, 279/2	127	113
4	279/1, 279/2	128	73
4	279/1, 279/2	129	69
4	279/1, 279/2	130	65
4	279/1, 279/2	131	121

4	279/1, 279/2	132	108
4	279/1, 279/2	133	120
4	279/1, 279/2	134	110
4	279/1, 279/2	135	165
4	279/1, 279/2	136	40
4	279/1, 279/2	138	91
4	279/1, 279/2	139	45
4	279/1, 279/2	140	36
4	279/1, 279/2	141	36
4	279/1, 279/2	142	36
4	279/1, 279/2	144	60
4	279/1, 279/2	145	18
4	279/1, 279/2	146	18
4	279/1, 279/2	147	18
4	279/1, 279/2	148	126
4	279/1, 279/2	149	80
4	279/1, 279/2	150	65
4	279/1, 279/2	151	24
4	279/1, 279/2	152	38
4	279/1, 279/2	153	19
4	279/1, 279/2	154	10
4	240/1, 240/2	156	32
4	240/1, 240/2	157	27
4	240/1, 240/2	158	31
4	240/1, 240/2	159	14
4	240/1, 240/2	160	27
4	240/1, 240/2	161	27
4	240/1, 240/2	162	25
4	279/1, 279/2	164	35
4	279/1, 279/2	165	62
4	279/1, 279/2	167	25
4	279/1, 279/2	168	32
4	279/1, 279/2	169	38
4	279/1, 279/2	170	28
4	279/1, 279/2	173	34
4	279/1, 279/2	174	55
4	279/1, 279/2	175	20
4	279/1, 279/2	176	38
4	279/1, 279/2	177	38
4	279/1, 279/2	178	42
4	279/1, 279/2	179	48
4	279/1, 279/2	180	92
4	279/1, 279/2	181	42
4	279/1, 279/2	182	48

4	279/1, 279/2	184	53
4	279/1, 279/2	185	21
4	279/1, 279/2	186	26
4	279/1, 279/2	187	34
4	279/1, 279/2	188	40
4	279/1, 279/2	189	31
4	279/1, 279/2	190	57
4	279/1, 279/2	191	2
4	279/1, 279/2	194	17
4	279/1, 279/2	195	57
4	279/1, 279/2	196	56
4	279/1, 279/2	197	53
4	279/1, 279/2	198	59
4	279/1, 279/2	199	68
4	279/1, 279/2	200	49
4	279/1, 279/2	201	82
4	279/1, 279/2	202	32
4	279/1, 279/2	203	87
4	279/1, 279/2	204	105
4	279/1, 279/2	205	41
4	279/1, 279/2	206	31
4	279/1, 279/2	207	34
4	279/1, 279/2	208	137
4	279/1, 279/2	209	45
4	279/1, 279/2	210	150
4	279/1, 279/2	211	122
4	279/1, 279/2	212	40
4	279/1, 279/2	213	29
4	279/1, 279/2	214	40
4	279/1, 279/2	215	40
4	279/1, 279/2	216	271
4	279/1, 279/2	219	73
4	279/1, 279/2	220	54
4	279/1, 279/2	221	20
4	279/1, 279/2	222	22
4	279/1, 279/2	223	70
4	279/1, 279/2	224	40
4	279/1, 279/2	225	12
4	279/1, 279/2	226	36
4	279/1, 279/2	227	47
4	279/1, 279/2	228	41
4	279/1, 279/2	229	37
4	279/1, 279/2	230	108
4	279/1, 279/2	231	21

4	279/1, 279/2	232	29
4	279/1, 279/2	233	41
4	279/1, 279/2	235	29
4	279/1, 279/2	236	28
4	279/1, 279/2	237	48
4	279/1, 279/2	240	9
4	279/1, 279/2	241	5
4	279/1, 279/2	242	3
4	279/1, 279/2	243	4
4	279/1, 279/2	244	3
4	240/1, 240/2	245	3
4	240/1, 240/2	246	3
4	240/1, 240/2	247	3
4	240/1, 240/2	248	4
4	240/1, 240/2	249	3
4	240/1, 240/2	250	2
4	240/1, 240/2	251	2
4	240/1, 240/2	252	3
4	279/1, 279/2	253	3
4	279/1, 279/2	254	2
4	279/1, 279/2	255	5
4	279/1, 279/2	256	5
4	240/1, 240/2	257	5
4	240/1, 240/2	258	4
4	240/1, 240/2	259	3
4	240/1, 240/2	260	4
4	240/1, 240/2	261	4
4	240/1, 240/2	262	4
4	279/1, 279/2	263	4
4	279/1, 279/2	264	4
4	279/1, 279/2	35/266	33
4	279/1, 279/2	133/267	143
4	279/1, 279/2	169/268	28
4	279/1, 279/2	144/269	62
4	279/1, 279/2	74/270	155
4	279/1, 279/2	68/271	37
4	279/1, 279/2	65/272	30
4	279/1, 279/2	172/273	31
2	89	201	65
2	89	202	7
2	89	203	55
2	89	204	80
2	89	205	55
2	89	206	96

2	89	207	74
2	89	208	81
2	89	209	58
2	89	210	57
2	89	211	79
2	89	212	35
2	89	213	35
2	89	218	13
2	89	219	25
2	89	220	61
2	89	221	33
2	89	222	78
2	89	223	107
2	89	224	116
2	89	225	131
2	89	228	65
2	89	229	76
2	89	230	90
2	89	231	54
2	89	232	144
2	89	233	67
2	89	234	77
2	89	235	100
2	89	236	100
2	89	237	107
2	89, 93/1, 92/1	239	254
2	89	240	223
2	89,122/8	241	36
2	89	242	160
2	89	243	126
2	89,122/8	244	62
2	89,122/8	373	212
2	89,122/8	374	334
2	89,122/8	375	119
2	89,122/8	376	119
2	89,122/8	377	119
2	89,122/8	378	116
2	89	420	246
2	89	421	70
2	89	422	70
2	89	423	70
2	89	424	70
2	89	425	340
2	89	426	123

2	89	427	70
2	89	429	113
2	89	430	47
2	89	431	27
2	89	432	27
2	89	433	127
2	89	434	33
2	89	435	51
2	89	436	52
2	89	437	136
2	89	438	49
2	89	439	95
2	89	440	49
2	89	442	82
2	89	443	153
2	89	445	33
2	89	446	33
2	89	447	33
2	89	448	33
2	89	449	128
2	89	450	50
2	89	450/ 588	50
2	89	450/ 589	41
2	89	450/ 590	41
2	89	450/ 591	41
2	89	450/ 592	123
1	92/1	93/1	1
1	92/1		200
1	92/1		593
1	92/1		49
1	92/1		17
1	92/1		18
1	92/1		28
1	92/1		24
1	92/1		37
1	92/1		39
1	92/1		13
1	92/1		34
1	92/1		37
1	92/1		43
1	92/1		36
1	92/1		97
1	92/1		71
1	92/1		58
1	92/1		58

1	92/1	21	57
1	92/1	22	57
1	92/1	23	102
1	92/1	24	102
1	92/1	25	48
1	92/1	26	22
1	92/1	27	68
1	92/1	28	52
1	92/1	29	52
1	92/1	31	32
1	92/1	32	74
1	92/1	33	61
1	92/1	34	31
1	92/1	36	53
1	92/1	37	47
1	92/1	38	47
1	92/1	40	158
1	92/1, 122/8	41	245
1	92/1, 122/8	97	99
1	92/1, 122/8	98	139
1	92/1, 122/8	99	95
1	92/1	102	90
1	92/1	103	210
1	92/1	104	356
1	92/1	105	30
1	92/1	107	143
1	92/1	108	142
1	92/1	109	230
1	92/1	111	508
1	92/1	112	111
1	92/1, 122/8	113	36
1	92/1, 122/8	114	37
1	92/1	115	68
1	92/1	116	64
1	92/1	118	35
1	92/1, 93/1	119	2168
1	93/1	120	82
1	93/1	121	51
1	93/1	122	51
1	93/1	123	57
1	93/1	124	57
1	93/1	125	57
1	93/1	126	79
1	93/1	127	90

1	93/1	128	54
1	93/1	129	54
1	93/1	130	140
1	93/1	131	172
1	92/1, 93/1	133	169
1	92/1, 93/1	134	367
1	93/1	136	55
1	93/1	137	85
1	93/1	138	66
1	93/1	139	47
1	93/1	140	59
1	93/1	141	22
1	93/1	144	75
1	93/1	146	48
1	93/1	147	98
1	93/1	148	44
1	93/1	149	65
1	93/1	150	45
1	93/1	151	55
1	93/1	152	75
1	93/1	153	31
1	93/1	156	164
1	93/1	157	83
1	93/1	160	19
1	93/1	162	54
1	93/1	163	38
1	93/1	164	31
1	93/1	165	40
1	93/1	166	44
1	93/1	167	48
1	93/1	168	54
1	93/1	173	22
1	93/1	174	53
1	93/1	175	61
1	93/1	176	61
1	93/1	177	61
1	93/1	179	161
1	93/1	181	174
1	93/1	183	174
1	93/1	184	122
1	93/1	185	272
1	93/1	186	95
1	93/1	187	87
1	93/1	189	2

1	93/1, 89	190	77
1	93/1, 89	191	122
1	92/1, 93/1	193	94
1	93/1	194	130
1	92/1	196	7
1	93/1	197	350
1	92/1, 93/1	198	292
1	92/1 122/8	116/ 596	129
1	92/1 122/8	116/ 597	136
1	92/1	17/ 599	45
1	122/8	43	129
1	122/8	44	37
1	122/8	45	37
1	122/8	46	80
1	122/8	47	42
1	122/8	48	36
1	122/8	49	61
1	122/8	50	118
1	122/8	51	91
1	122/8	52	57
1	122/8	53	33
1	122/8	55	487
1	122/8	56	480
1	122/8	57	480
1	122/8	60	415
1	122/8	61	135
2	122/8	63	132
2	122/8	64	133
2	122/8	65	180
2	122/8	66	98
2	122/8	68	49
2	122/8	69	23
2	122/8	70	21
2	122/8	71	49
2	122/8	73	40
2	122/8	74	53
2	122/8	76	172
2	122/8	77	74
2	122/8	78	74
2	122/8	79	99
2	122/8	80	128
2	122/8	81	128
2	122/8	82	243
2	122/8	83	199

2	122/8	86	117
2	122/8	87	117
2	122/8	88	294
2	122/8	89	141
2	122/8	90	112
2	122/8	91	88
2	122/8	92	60
2	122/8	93	110
2	122/8	94	121
2	122/8	95	110
2	122/8	96	100
2	122/8 , 92/1	100	91
2	122/8	246	191
2	122/8	247	182
2	122/8	248	198
2	122/8	249	140
2	122/8	250	135
2	122/8	251	135
2	122/8	252	135
2	122/8	254	140
2	122/8	255	35
2	122/8	256	35
2	122/8	257	53
2	122/8	258	56
2	122/8	259	74
2	122/8	260	157
2	122/8	261	150
2	122/8	262	133
2	122/8	263	49
2	122/8	264	92
2	122/8, 92/1	265	129
2	92/1 122/8	266	122
2	122/8	269	45
2	122/8	270	94
2	122/8	271	94
2	122/8	272	164
2	122/8	273	230
2	122/8	274	284
2	122/8	275	245
2	122/8	277	530
2	122/8	278	186
2	122/8	279	110
2	122/8	280	110
2	122/8	281	130

2	122/8	283	73
2	122/8	284	73
2	122/8	285	140
2	122/8	286	140
2	122/8	287	121
2	122/8	288	156
2	122/8	289	94
2	122/8	290	91
2	122/8	291	65
2	122/8	292	31
2	122/8	293	39
2	122/8	294	27
2	122/8	295	22
2	122/8	296	22
2	122/8	298	130
2	122/8	299	140
2	122/8	300	97
2	122/8	301	157
2	122/8	302	102
2	122/8	303	156
2	122/8	304	140
2	122/8	305	148
2	122/8	307	68
2	122/8	308	14
2	122/8	309	62
2	122/8	310	109
2	122/8	311	15
2	122/8	312	91
2	122/8	313	178
2	122/8	314	107
2	122/8	315	108
2	122/8	316	98
2	122/8	318	142
2	122/8	319	135
2	122/8	320	67
2	122/8	321	75
2	122/8	322	104
2	122/8	323	71
2	122/8	324	72
2	122/8	325	68
2	122/8	326	118
2	122/8	327	118
2	122/8	328	102
2	122/8	329	37

2	122/8	330	37
2	122/8	331	74
2	122/8	332	26
2	122/8	333	27
2	122/8	334	27
2	122/8	336	80
2	122/8	337	80
2	122/8	338	39
2	122/8	339	39
2	122/8	340	40
2	122/8	341	40
2	122/8	342	40
2	122/8	343	205
2	122/8	344	33
2	122/8	345	115
2	122/8	346	114
2	122/8	347	110
2	122/8	348	110
2	122/8	350	245
2	122/8	351	239
2	122/8	352	172
2	122/8	353	83
2	122/8	354	89
2	122/8	355	142
2	122/8	356	138
2	122/8	357	108
2	122/8	358	65
2	122/8	359	65
2	122/8	361	47
2	122/8	362	47
2	122/8	363	96
2	122/8	364	177
2	122/8	365	177
2	122/8	366	150
2	122/8	367	150
2	122/8	368	150
2	122/8	369	150
2	122/8	370	93
2	122/8	371	93
2	122/8	380	12
2	122/8	381	58
2	122/8	384	39
2	122/8	385	41
2	122/8	386	72

2	122/8	387	64
2	122/8	388	70
2	122/8	389	70
2	122/8	390	73
2	122/8	391	70
2	122/8	392	42
2	122/8	393	80
2	122/8	394	72
2	122/8	395	71
2	122/8	396	67
2	122/8	397	64
2	122/8	399	84
2	122/8	400	72
2	122/8	401	50
2	122/8	403	34
2	122/8	404	43
2	122/8	47 / 580	42
2	122/8	269/ 581	45
2	122/8	269/ 582	52
2	122/8	269/ 583	55
2	122/8	269/ 584	52
2	122/8	47 / 598	62
2	122/8	392/ 601	35
		742	88365

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2
270	मकान कच्चा—5
92/3	मकान कच्चा
116/2	मकान कच्चा
116/3	मकान कच्चा
116/4	मकान कच्चा
116/5	मकान कच्चा

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	मंद	संपत्ति का विवरण
1	2	3
269	चरनोई	कच्चा टप्पर-18
272/1	चरनोई	कच्चा टप्पर-18
299/1	चरनोई	कच्चा टप्पर-35
281	चरनोई	पाईपलाईन-100, पम्पहाउस-49

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः— महेश्वर जल विद्युत परियोजना के खूब क्षैत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1—कलेक्टर जिला—खरगोन, 2—भू—अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3—कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4—महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)
कलेक्टर, खरगोन एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला—खरगोन

क्रमांक/289/भू-अर्जन/11

खरगोन दिनांक 4 मार्च, 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

//अनुसूची//

(1) भूमि का वर्णन : आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएँ तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएँ

जिला : खरगोन

तहसील : बड़वाह

ग्राम का नाम : मर्दाना

लगभग क्षेत्रफल : 84,774 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएँ तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएँ

शीट क्रमांक	खसरा नंबर	भू-खण्ड क्रमांक	डूब का रक्खा वर्ग मीटर में
1	2	3	4
1	240,242	1	115
1	240,242	2	80
1	240,242	3	35
1	240,242	4	26
1	240,242	5	36
1	240,242	7	145
1	240,242	8	106
1	240,242	9	66
1	240,242	10	43
1	240,242	13	200
1	240,242	15	210
1	240,242	16	38
1	240,242	18	145

1	240,242	19	278
1	240,242	20	106
1	240,242	22	182
1	240,242	23	550
1	240,242	25	885
1	240,242	26	370
1	240,242	27	40
1	240,242	28	59
1	240,242	29	30
1	240,242	30	548
1	240,242	32	62
1	240,242	33	51
1	240,242	34	42
1	240,242	35	112
1	240,242	36	200
1	240,242	37	146
1	240,242	38	180
1	240,242	39	35
1	240,242	40	92
1	240,242	41	137
1	240,242	42	135
1	240,242	43	175
1	240,242	44	170
1	240,242	45	50
1	240,242	46	160
1	240,242	47	27
1	240,242	48	185
1	240,242	49	185
1	240,242	50	185
1	240,242	51	38
1	240,242	52	60
1	240,242	53	110
1	240,242	54	87
1	240,242	55	87
1	240,242	56	44

1	240,242	57	88
1	240,242	58	240
1	240,242	59	550
1	240,242	60	126
1	240,242	61	126
1	240,242	62	130
1	240,242	63	190
1	240,242	64	225
1	240,242	65	96
1	240,242	66	90
1	240,242	67	130
1	240,242	68	130
1	240,242	69	125
1	240,242	70	47
1	240,242	71	41
1	240,242	72	40
1	240,242	73	55
1	240,242	74	280
1	240,242	75	90
1	240,242	76	260
1	240,242	77	60
1	240,242	78	60
1	240,242	79	80
1	240,242	80	40
1	240,242	82	22
1	240,242	83	396
1	240,242	84	106
1	240,242	85	82
1	240,242	86	48
1	240,242	87	355
1	240,242	88	225
1	240,242	89	35
1	240,242	90	102
1	240,242	91	172
1	240,242	92	130

1	240,242	93	102
1	240,242	94	97
1	240,242	95	90
1	240,242	96	180
1	240,242	97	133
1	240,242	98	72
1	240,242	99	380
1	240,242	100	138
1	240,242	101	52
1	240,242	102	60
1	240,242	103	105
1	240,242	104	50
1	240,242	105	23
1	240,242	106	36
1	240,242	107	21
1	240,242	108	21
1	240,242	109	23
1	240,242	110	72
1	240,242	112	55
1	240,242	113	90
1	240,242	114	110
1	240,242	115	150
1	240,242	116	63
1	240,242	117	198
1	240,242	118	140
1	240,242	119	74
1	240,242	120	74
1	240,242	121	63
1	240,242	122	60
1	240,242	123	95
1	240,242	125	42
1	240,242	126	76
1	240,242	127	110
1	240,242	128	94
1	240,242	129	140

1	240,242	130	125
1	240,242	131	141
1	240,242	132	45
1	240,242	133	85
1	240,242	135	35
1	240,242	136	33
1	240,242	137	33
1	240,242	138	86
1	240,242	140	33
1	240,242	141	167
1	240,242, 243	142	20
1	243,244	143	105
1	240,242	145	75
1	240,242	146	21
1	240,242	147	54
1	240,242	148	31
1	240,242	149	31
1	240,242	150	52
1	240,242	151	31
1	240,242	152	31
1	240,242	153	70
1	240,242	154	40
1	240,242	155	315
1	240,242	158	27
1	240,242	159	41
1	240,242	160	94
1	240,242	161	50
1	240,242	162	124
1	240,242	163	40
1	240,242	164	225
1	240,242	165	237
1	240,242	166	173
1	240,242	167	75
1	240,242	168	75
1	240,242	169	75

1	240,242	170	44
1	240,242	171	52
1	240,242	173	142
1	240,242	174	150
1	240,242	175	250
1	240,242	176	265
1	240,242	177	108
1	240,242	178	115
1	240,242	179	270
1	240,242	180	80
1	240,242	181	80
1	240,242	182	80
1	240,242	183	80
1	240,242	184	50
1	240,242	185	65
1	240,242	186	67
1	240,242	187	67
1	240,242	188	140
1	240,242	189	70
1	240,242	190	105
1	240,242	191	115
1	240,242	192	139
1	240,242	193	11
1	240,242	194	45
1	240,242	195	60
1	240,242	196	107
1	240,242	197	60
1	240,242	198	78
1	240,242	199	73
1	240,242	200	100
1	240,242	201	74
1	240,242	202	50
1	240,242	203	18
1	240,242	204	42
1	240,242	205	40

1	240,242	206	44
1	240,242	207	85
1	240,242	209	48
1	240,242	210	36
1	240,242	211	310
1	240,242	212	178
1	240,242	213	76
1	240,242	214	220
1	240,242	215	132
1	240,242	216	43
1	240,242	217	78
1	240,242	218	364
1	240,242	219	47
1	240,242	220	40
1	240,242	221	100
1	240,242	222	51
1	240,242	223	125
1	240,242	226	823
1	240,242	227	93
1	240,242	228	30
1	240,242	229	19
1	240,242	230	41
1	240,242	231	70
1	240,242	233	25
1	240,242	235	35
1	240,242	236	25
1	240,242	237	78
1	240,242	238	21
1	240,242	239	42
1	240,242	240	45
1	240,242	241	50
1	240,242	242	57
1	240,242	243	47
1	240,242	244	70
1	240,242	245	106

1	240,242	246	61
1	240,242	247	195
1	240,242	248	66
1	240,242	249	102
1	240,242	250	59
1	240,242	251	117
1	240,242	252	60
1	240,242	253	75
1	240,242	254	85
1	240,242	256	132
1	240,242	257	100
1	240,242	258	160
1	240,242	259	160
1	240,242	260	123
1	240,242	262	35
1	240,242	263	45
1	240,242	264	35
1	240,242	265	12
1	240,242	266	45
1	240,242	267	32
1	240,242	268	67
1	240,242	270	24
2	240,242	271	54
2	240,242	272	33
2	240,242	273	85
2	240,242	274	85
2	240,242	275	80
2	240,242	276	55
2	240,242	277	55
2	240,242	278	75
2	240,242	279	21
2	240,242	280	21
2	240,242	281	42
2	240,242	282	127
2	240,242	284	15

2	240,242	285	19
2	240,242	287	38
2	240,242	288	43
2	240,242	289	76
2	240,242	290	65
2	240,242	291	65
2	240,242	292	35
2	240,242	293	35
2	240,242	294	12
2	240,242	296	50
2	240,242	297	83
2	240,242	298	50
2	240,242	299	24
2	240,242	300	25
2	240,242	301	48
2	240,242	302	75
2	240,242	303	35
2	240,242	304	35
2	240,242	305	35
2	240,242	306	45
2	240,242	307	45
2	240,242	308	21
2	240,242	309	34
2	240,242	310	23
2	240,242	311	30
2	240,242	312	30
2	240,242	313	20
2	240,242	314	31
2	240,242	315	31
2	240,242	316	29
2	240,242	317	29
2	240,242	318	36
2	240,242	319	40
2	240,242	320	38
2	240,242	321	50

2	240,242	323	23
2	240,242	324	30
2	240,242	325	27
2	240,242	326	116
2	240,242	327	52
2	240,242	328	52
2	240,242	329	67
2	240,242	330	212
2	240,242	331	88
2	240,242	332	140
2	240,242	333	111
2	240,242	334	122
2	240,242	335	115
2	240,242	336	104
2	240,242	337	195
2	240,242	338	67
2	240,242	339	68
2	240,242	340	51
2	240,242	341	57
2	240,242	342	51
2	240,242	343	55
2	240,242	344	32
2	240,242,	345	270
2	240,242	346	65
2	240,242	347	137
2	240,242	348	52
2	240,242,	349	200
2	240,242	350	51
2	240,242	351	98
2	240,242	352	1472
2	240,242	353	188
2	240,242	354	98
2	240,242	355	98
2	240,242	356	256
2	240,242	357	138

2	240,242	358	152
2	240,242	359	147
2	240,242	360	120
2	240,242	361	75
2	240,242	362	57
2	240,242	363	67
2	244	365	160
2	240,242	366	120
2	240,242	367	40
2	240,242	368	105
2	240,242	369	61
2	240,242	370	42
2	240,242	371	110
2	240,242	372	115
2	240,242	373	115
2	240,242	374	60
2	240,242	375	60
2	240,242,	376	64
2	240,242,	377	260
2	240,242	378	125
2	240,242	379	335
2	240,242	380	56
2	240,242	381	77
2	240,242	382	130
2	240,242	383	135
2	240,242	384	63
2	240,242	385	55
2	240,242	386	55
2	240,242	387	73
2	240,242	389	170
2	240,242	390	95
2	240,242	392	215
2	240,242	393	155
2	240,242	394	240
2	240,242	395	1015

2	240,242	398	221
2	240,242,	399	106
2	240,242	400	89
2	240,242	401	156
2	240,242	403	248
2	240,242	405	250
2	240,242	406	61
2	240,242	407	62
2	240,242	408	85
2	240,242	409	92
2	240,242	410	66
2	240,242	411	90
2	240,242	413	41
2	240,242	415	126
2	240,242	416	109
2	240,242	417	183
2	240,242	418	78
2	240,242	419	137
2	240,242	420	58
2	240,242	421	100
2	240,242	422	134
2	240,242	423	90
2	240,242	424	56
2	240,242	426	60
2	240,242	427	435
2	240,242	428	82
2	240,242	429	29
2	240,242	430	58
2	240,242	431	55
2	240,242	432	350
2	240,242	434	24
2	240,242	435	63
2	240,242	436	80
2	240,242	437	91
2	240,242	438	51

2	240,242	439	130
2	240,242	440	167
2	240,242	441	366
2	240,242	442	84
2	240,242	443	76
2	240,242	444	395
2	240,242	446	360
2	240,242	447	130
2	240,242	448	118
2	240,242	449	31
2	240,242	450	198
2	240,242	451	95
2	240,242	452	186
2	240,242	453	122
2	240,242	454	182
2	240,242	455	70
2	240,242	457	16
2	240,242	458	128
2	240,242	459	135
2	240,242	460	75
2	240,242	461	133
2	240,242	463	55
2	240,242	464	107
2	240,242	465	108
2	240,242	466	124
2	240,242	467	145
2	240,242	468	107
2	240,242	469	102
2	240,242	470	201
2	240,242	471	226
2	240,242	472	258
2	240,242	473	76
2	240,242	474	94
2	240,242	475	487
2	240,242	476	60

2	240,242	477	157
2	240,242	478	85
2	240,242	480	109
2	240,242	481	130
2	240,242	482	80
2	240,242	483	100
2	240,242	484	95
2	240,242	485	90
2	240,242	486	95
2	240,242	487	59
2	240,242	488	81
2	240,242	490	42
2	240,242	491	133
2	240,242	492	75
2	240,242	493	67
2	240,242	494	73
2	240,242	495	37
2	240,242	496	54
2	240,242	497	207
2	240,242	498	143
2	240,242	499	250
2	240,242	500	134
2	240,242	501	40
2	240,242	502	45
2	240,242	503	110
2	240,242	504	18
2	240,242	505	89
2	240,242	506	170
2	240,242	507	150
2	240,242	508	59
2	240,242	509	72
2	240,242	510	132
2	240,242	511	115
2	240,242	512	90
2	240,242	513	125

2	240,242	514	111
2	240,242	515	88
2	240,242	516	203
2	240,242	517	92
2	240,242	518	80
2	240,242	519	147
2	240,242	520	93
2	240,242	521	93
2	240,242	525	35
2	240,242	526	54
2	240,242	527	66
2	240,242	528	66
2	240,242	529	33
2	240,242	530	40
2	240,242	531	41
2	240,242	532	96
2	240,242	533	60
2	240,242	534	75
2	240,242	535	65
2	240,242	536	32
2	240,242	537	28
2	240,242	538	35
2	240,242	539	98
2	240,242	540	38
2	240,242	541	43
2	240,242	542	51
2	240,242	543	75
2	240,242	544	37
2	240,242	546	18
2	240,242	547	14
2	240,242	548	25
2	240,242	549	20
2	240,242	550	57
2	240,242	551	38
2	240,242	552	40

2	240,242	553	20
2	240,242	554	12
2	240,242	555	18
2	240,242	556	33
2	240,242	557	41
2	240,242	558	80
2	240,242	559	60
2	240,242	560	65
2	240,242	561	12
2	240,242	562	13
2	240,242	563	13
2	240,242	564	51
2	240,242	565	126
2	240,242	566	40
2	240,242	567	7
2	240,242	568	105
2	240,242	569	150
2	240,242	571	29
2	240,242	572	90
2	240,242	573	29
2	240,242	574	63
2	240,242	576	78
2	240,242	577	82
2	240,242	578	93
2	240,242	579	81
2	240,242	580	33
2	240,242	581	30
2	240,242	582	27
2	240,242	583	39
2	240,242	584	28
2	240,242	585	66
2	240,242	586	75
2	240,242	588	155
2	240,242	589	93
2	240,242	590	40

2	240,242	591	35
2	240,242	592	60
2	240,242	593	112
2	240,242	594	66
2	240,242	595	133
2	240,242	596	19
2	240,242	597	25
2	240,242	598	28
2	240,242	599	28
2	240,242	600	56
2	240,242	602	108
2	240,242	603	38
2	240,242, 245	604	365
2	240,242	605	95
2	240,242	606	95
2	240,242	607	280
2	240,242	608	159
2	240,242	609	117
2	240,242	610	70
2	240,242	611	90
2	240,242	612	98
2	240,242	613	95
2	240,242	614	134
2	240,242	615	42
2	240,242	616	136
2	240,242	617	120
2	240,242	618	95
2	240,242	619	35
2	240,242	620	78
2	240,242	621	37
2	240,242	622	68
2	240,242	623	126
2	240,242	624	18
2	240,242	625	19
2	240,242	626	24

2	240,242	627	30
2	240,242	628	48
2	240,242	630	80
2	240,242	631	179
2	240,242	633	55
2	240,242	634	46
2	240,242	635	46
2	240,242	636	25
2	240,242	637	22
2	240,242	639	72
2	240,242	640	40
2	240,242	641	36
2	240,242	643	101
2	240,242	644	24
2	240,242	645	24
2	240,242	646	175
2	240,242	650	70
2	240,242	651	130
2	240,242	652	15
2	240,242	653	15
2	240,242	654	44
2	240,242	655	125
2	240,242	656	39
2	240,242	657	23
2	240,242	658	29
2	240,242	659	27
2	240,242	661	110
2	240,242	663	65
2	240,242	664	36
2	240,242	665	10
2	240,242	666	17
2	240,242	667	40
2	240,242	668	43
2	240,242	669	25
2	240,242	670	12

2	240,242	671	23
2	240,242	672	30
2	240,242	673	33
2	240,242	674	80
2	240,242	675	25
2	240,242	676	31
2	240,242	677	30
2	240,242	678	80
2	240,242	679	50
2	240,242	680	58
2	240,242	681	70
2	240,242	682	25
2	240,242	683	31
2	240,242	685	75
2	240,242	686	54
2	240,242	687	10
2	240,242	688	20
2	240,242	689	38
2	240,242	690	89
2	240,242	692	34
2	240,242	693	31
2	240,242	694	13
2	240,242	695	45
2	240,242	696	37
2	240,242	697	14
2	240,242	698	10
2	240,242	699	10
2	240,242	700	24
2	240,242	701	40
2	240,242	702	46
2	240,242	703	20
2	240,242	704	46
2	240,242	705	100
2	240,242	706	32
2	240,242	707	41

2	240,242	708	20
2	240,242	709	48
2	240,242	710	36
2	240,242	711	27
2	240,242	712	50
2	240,242	713	23
2	240,242	714	24
2	240,242	715	9
2	240,242	716	9
2	240,242	717	20
2	240,242	718	40
2	240,242	719	42
2	240,242	720	12
2	240,242	721	80
2	240,242	722	38
2	240,242	723	38
2	240,242	724	34
2	240,242	725	40
2	240,242	727	38
2	240,242	730	130
2	240,242	732	90
2	240,242	733	65
2	240,242	734	46
2	240,242	735	55
2	240,242	736	23
2	240,242	737	22
2	240,242	739	69
2	240,242	740	30
2	240,242	741	55
2	240,242	742	30
2	240,242	743	37
2	240,242	744	22
2	240,242	745	58
2	240,242	746	52
2	240,242	747	65

2	240,242	749	75
2	240,242	750	50
2	240,242	751	53
2	240,242	752	68
2	240,242	753	85
2	240,242	754	67
2	240,242	755	20
2	240,242	756	32
2	240,242	757	14
2	240,242	758	29
2	240,242	759	19
2	240,242	760	24
2	240,242	761	20
2	240,242	762	80
2	240,242	763	80
2	240,242	764	17
2	240,242	765	40
2	240,242	766	108
2	240,242	767	430
2	240,242	768	46
2	240,242	769	50
2	240,242	770	29
2	240,242	772	140
2	240,242	773	356
2	240,242	774	58
2	240,242	775	120
2	240,242	776	108
2	240,242	777	31
2	240,242	778	165
2	240,242	779	110
2	240,242	780	258
2	240,242	781	81
2	240,242	782	65
2	240,242	783	56
2	240,242	784	35

2	240,242	785	56
2	240,242	786	69
2	240,242	787	66
2	240,242	788	55
2	240,242	789	40
2	240,242	790	45
2	240,242	791	270
3	240,242	792	108
3	240,242	793	90
3	240,242	794	80
3	240,242	795	86
3	240,242	796	60
3	240,242	797	325
3	240,242	800	120
3	240,242	801	135
3	240,242	802	78
3	240,242	803	73
3	240,242	804	95
3	240,242	805	76
3	240,242	806	55
3	240,242	807	107
3	240,242	808	131
3	240,242	809	66
3	240,242	812	220
3	240,242	813	30
3	240,242	814	113
3	240,242	815	15
3	240,242	816	26
3	240,242	817	26
3	240,242	818	262
3	240,242	819	90
3	240,242	820	245
3	240,242	821	73
3	240,242	822	174
3	240,242	827	42

3	240,242	828	40
3	240,242	829	45
3	240,242	830	178
3	240,242	831	28
3	240,242	832	29
3	240,242	833 पैकी	6
3	240,242	834	18
3	240,242	836	192
3	240,242	837	84
3	240,242	838	113
3	240,242	839	77
3	240,242	840	107
3	240,242	841	235
3	240,242	842	205
3	240,242	843	192
3	240,242	844	188
3	240,242	845	159
3	240,242	846	75
3	240,242	847	50
3	240,242	848	177
3	240,242	849	85
3	240,242	850	33
3	240,242	851	29
3	199	853	35
3	240,242	854	27
3	240,242	855	55
3	240,242	856	24
3	240,242	857	18
3	240,242	858	32
3	240,242	859	34
3	240,242	862	43
3	240,242	863	27
3	240,242	864	140
3	240,242	865	30
3	240,242	866	18

3	240,242	867	14
3	240,242	868	31
3	240,242	869	37
3	240,242	870	13
3	240,242	872	235
3	240,242	873	96
3	240,242	874	37
3	240,242	875	32
3	240,242	876	35
3	240,242	877	39
3	240,242	879	54
3	240,242	880	60
3	240,242	881	58
3	240,242	882	120
3	240,242	883	238
3	240,242	884	57
3	240,242	885	38
3	240,242	886	95
3	240,242	887	14
3	240,242	888	11
3	240,242	889	30
3	240,242	890	45
3	240,242	891	304
3	240,242	892	122
3	240,242	893	439
3	240,242	894	115
3	240,242	895	270
3	240,242	896	200
3	240,242	897	59
4	247 / 2	902	145
4	247 / 2	903	40
4	247 / 2	904	70
4	247 / 2	906	20
4	247 / 2	907	108
4	247 / 2	908	80

4	247 / 2	909	165
4	247 / 2	910	118
4	247 / 2	912	61
4	247 / 2	913	77
4	247 / 2	914	100
4	247 / 2	916	96
4	247 / 2	917	52
4	247 / 2	918	65
4	247 / 2	919	65
4	247 / 2	920	141
4	247 / 2	921	126
4	247 / 2	922	124
4	247 / 2	925	47
4	247 / 2	926	30
4	247 / 2	927	11
4	247 / 2	928	110
4	247 / 2	929	45
4	247 / 2	931	70
4	247 / 2	932	73
4	247 / 2	933	57
4	247 / 2	934	46
4	247 / 2	935	302
4	247 / 2	936	52
4	247 / 2	937	50
4	247 / 2	938	182
4	247 / 2	939	151
4	247 / 2	940	406
4	247 / 2	942	322
4	247 / 2	943	65
4	247 / 2	944	55
4	247 / 2	945	55
4	247 / 2	946	151
4	247 / 2	947	93
4	247 / 2	948	95
4	247 / 2	950	215

4	247 / 2	952	120
4	247 / 2	953	229
4	247 / 2	954	75
4	247 / 2	955	82
4	247 / 2	956	157
4	247 / 2	957	165
4	247 / 2	958	112
4	247 / 2	959	112
4	247 / 2	960	150
4	247 / 2	961	100
4	247 / 2	963	55
4	247 / 2	964	99
4	247 / 2	966	105
4	247 / 2	967	59
4	247 / 2	968	36
4	247 / 2	969	110
4	247 / 2	970	18
4	247 / 2	972	6
4	247 / 2	973	144
4	247 / 2	974	170
4	247 / 2	975	60
4	247 / 2	976	25
4	247 / 2	977	30
4	247 / 2	978	100
4	247 / 2	979	45
4	240,242	563/1143	12
4	240,242	259/1144	4
4	247 / 2	910/1145	190
4	247 / 2	941/1147	44
4	240,242	502/1148	48
4	240,242	502/1149	21
4	240,242	502/1151	108
4	240,242	502/1152	25
4	240,242	499/1153	50
4	240,242	499/1154	51

4	240,242	499/1155	53
4	240,242	499/1156	55
4	240,242	463/1157	55
4	240,242	413/1158	435
4	240,242	413/1159	95
4	240,242	195/1160	35
4	240,242	195/1161	35
4	240,242	195/1162	38
4	240,242	360/1163	135
4	240,242	715/1165	37
4	240,242	125/1167	90
4	240,242	131/1168	17
4	240,242	697/1178	17
4	240,242	698/1179	14
4	240,242	318/1180	65
4	240,242	715/1181	8
4	240,242	716/1182	8
4	240,242	892/1187	60
4	148	825/1188	80
	योग	907	84774

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2
166/1	मकान— 09, गोदान—1, पशुबाड़ा— 8, गोबर गैंस —1, भीलट बाबा मंदिर—1
194	मकान—2
201	मकान—1
203	पशुबाड़ा—4
204	पशुबाड़ा—1
224	मकान—4, पशुबाड़ा—1

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	मद	संपत्ति का विवरण
2	3	4
70	नि.चरागाह	मकान – 17, भीलट बाबा का ओटला
168	नि.चरागाह	मकान – 2
1	नदी	पाईप लाईन–121, पंप हाउस –65

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः— महेश्वर जल विद्युत परियोजना के द्वाब क्षेत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1—कलेक्टर जिला—खरगोन, 2—भू—अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3—कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना /म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4—महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)
कलेक्टर, खरगोन एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला—खरगोन

क्रमांक/374 /भू-अर्जन/11

खरगोन दिनांक 8 मार्च 2011

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

//अनुसूची//

(1) भूमि का वर्णन	:	आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं
जिला	:	खरगोन
तहसील	:	कसरावद
ग्राम का नाम	:	भट्ट्याण बुजूर्ग
लगभग क्षेत्रफल	:	45,200 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

शीट क्रमांक	खसरा नंबर	भू-खण्ड क्रमांक	डूब का रकबा वर्ग मीटर में
1	2	3	4
1	231	1	180
1	231	2	660
1	231	3	168
1	231	4	64
1	231	5	90
1	231	7	140
1	231	8	98
1	231	9	70
1	231	10	42
1	231	11	31
1	231	12	62
1	231	13	59

1	231	14	49
1	231	15	45
1	231	16	37
1	231	17	65
1	231	18	44
1	231	19	61
1	231	20	44
1	231	21	29
1	231	22	69
1	231	23	176
1	231	25	60
1	231	26	8
1	231	27	42
1	231	28	28
1	231	29	105
1	231	30	36
1	231	31	21
1	231	32	156
1	231	33	256
1	231	34	91
1	231	35	68
1	231	36	91
1	231	37	50
1	231	38	82
1	231	39	55
1	231	40	82
1	231	41	56
1	231	42	37
1	231	43	34
1	231	44	34
1	231	45	34
1	231	47	78
1	231	48	342

1	231	49	81
1	231	50	129
1	231	51	81
1	231	52	77
1	231	53	83
1	231	54	167
1	231	55	215
1	231	56	29
1	231	57	115
1	231	58	159
1	231	59	33
1	231	60	30
1	231	61	36
1	231	62	25
1	231	63	57
1	231	64	46
1	231	65	46
1	231	66	50
1	231	67	50
1	231	69	50
1	231	70	65
1	231	72	38
1	231	74	57
1	231	75	52
1	231	76	52
1	231	77	52
1	231	78	81
1	231	79	59
1	231	80	52
1	231	81	52
1	231	82	119
1	231	83	51
1	231	84	60

1	231	86	29
1	231	87	80
1	231	88	26
1	231	89	23
1	231	90	23
1	231	91	23
1	231	92	80
1	231	93	80
1	231	95	21
1	231	96	46
1	231	97	66
1	231	98	40
1	231	99	40
1	231	100	95
1	231	101	39
1	231	102	42
1	231	103	82
1	231	104	34
1	231	105	90
1	231	106	35
1	231	107	70
1	231	108	37
1	231	109	42
1	231	110	31
1	231	111	31
1	231	112	33
1	231	113	32
1	231	114	62
1	231	115	65
1	231	116	188
1	231	119	50
1	231	120	75
1	231	121	38

1	231	122	79
1	231	123	56
1	231	124	39
1	231	125	37
1	231	126	62
1	231	127	105
1	231	128	21
1	231	129	19
1	231	130	109
1	231	131	90
1	231	132	249
1	231	133	106
1	231	134	15
1	231	135	25
1	231	136	95
1	231	137	79
1	231	138	51
1	231	140	171
1	231	142	19
1	231	143	29
1	231	144	4
1	231	145	66
1	231	146	87
1	231	147	77
1	231	148	40
1	231	149	73
1	231	150	20
1	231	151	17
1	231	152	28
1	231	153	38
1	231	154	54
1	231	155	49
1	231	156	51

1	231	157	42
1	231	158	36
1	231	159	33
1	231	160	73
1	231	161	61
1	231	162	40
1	231	163	22
1	231	164	19
1	231	165	28
1	231	166	60
1	231	167	12
1	231	168	32
1	231	169	44
1	231	170	41
1	231	171	33
1	231	172	29
1	231	173	37
1	231	174	81
1	231	175	73
1	231	176	41
1	231	177	77
1	231	178	60
1	231	179	16
1	231	180	55
1	231	181	81
1	231	182	68
1	231	183	115
1	231	184	42
1	231	185	42
1	231	186	202
1	231	187	111
1	231	188	55
1	231	189	78

1	231	190	47
1	231	191	47
1	231	192	69
1	231	193	66
1	231	194	38
1	231	195	60
1	231	196	41
1	231	197	43
1	231	198	6
1	231	199	122
1	231	200	68
1	231	201	122
1	231	202	127
1	231	203	16
1	231	204	69
1	231	205	66
1	231	206	182
1	231	207	42
1	231	208	36
1	231	209	34
1	231	210	44
1	231	211	50
1	231	212	18
1	231	213	21
1	231	215	96
1	231	216	63
1	231	217	63
1	231	218	63
1	231	219	64
1	231	220	64
1	231	221	150
1	231	222	166
1	231	223	34

1	231	225	122
1	231	226	87
1	231	227	54
1	231	228	75
1	231	229	106
1	231	230	40
1	231	231	40
1	231	232	81
1	231	234	28
1	231	235	34
1	231	236	33
1	231	237	85
1	231	238	33
1	231	239	54
1	231	240	54
1	231	241	52
1	231	242	42
1	231	243	31
1	231	244	37
1	231	245	49
1	231	246	71
1	231	247	26
1	231	248	61
1	231	250	31
1	231	251	64
1	231	252	78
1	231	253	78
1	231	254	102
1	231	255	15
1	231	256	24
1	231	257	85
1	231	258	102
1	231	259	106

1	231	260	66
1	231	261	78
1	231	262	193
1	231	263	198
1	231	264	74
1	231	265	74
1	231	266	115
1	231	267	115
1	231	268	64
1	231	269	64
1	231	271	39
1	231	272	39
1	231	273	39
1	231	274	20
1	231	275	28
1	231	276	118
1	231	277	115
1	231	278	115
1	231	279	135
1	231	280	108
1	231	281	155
1	231	282	78
1	231	283	90
1	231	284	43
1	231	285	89
1	231	286	55
1	231	287	116
1	231	288	97
1	231	289	55
1	231	290	31
1	231	291	49
1	231	292	49
1	231	293	42

1	231	294	71
1	231	295	71
1	231	296	72
1	231	298	78
1	231	299	90
1	231	300	78
1	231	301	59
1	231	302	59
1	231	303	64
1	231	304	60
1	231	305	80
1	231	306	143
1	231	307	80
1	231	308	27
1	231	309	34
1	231	310	81
1	231	311	80
1	231	312	115
1	231	313	102
1	231	314	102
1	231	315	116
1	231	316	102
1	231	317	48
1	231	318	45
1	231	319	24
1	231	320	56
1	231	321	280
1	231	322	62
1	231	323	103
1	231	324	103
1	231	325	114
1	231	326	102
1	231	327	107

1	231	330	42
1	231	331	42
1	231	332	50
1	231	333	50
1	231	334	85
1	231	335	50
1	231	336	70
1	231	337	32
1	231	338	85
1	231	339	65
1	231	340	18
1	231	341	20
1	231	342	50
1	231	343	42
1	231	344	42
1	231	345	85
1	231	346	82
1	231	347	75
1	231	348	64
1	231	349	144
1	231	350	30
1	231	351	38
1	231	352	35
1	231	353	86
1	231	354	176
1	231	355	70
1	231	356	74
1	231	357	155
1	231	358	142
1	231	359	27
1	231	360	29
1	231	361	35
1	231	362	15

1	231	363	95
1	231	365	60
1	231	366	85
1	231	367	43
1	231	368	128
1	231	370	6
1	231	371	523
1	231	372	189
1	231	373	108
1	231	374	175
1	231	375	92
1	231	376	103
1	231	377	68
1	231	378	404
1	231	379	388
1	231	380	175
1	231	381	43
1	231	382	39
1	231	383	30
1	231	384	27
1	231	385	21
1	231	386	21
1	231	387	34
1	231	388	168
1	231	389	25
1	231	391	130
1	231	392	81
1	231	393	77
1	231	394	91
1	231	395	81
1	231	396	72
1	231	397	203
1	231	398	34

1	231	399	61
1	231	400	38
1	231	401	34
1	231	403	102
1	231	404	120
1	231	405	27
1	231	406	72
1	231	407	47
1	231	408	34
1	231	409	55
1	231	410	63
1	231	411	102
1	231	412	69
1	231	413	52
1	231	414	37
1	231	415	33
1	231	416	30
1	231	418	79
1	231	419	67
1	231	420	139
1	231	421	48
1	231	422	55
1	231	425	103
1	231	426	101
1	231	427	15
1	231	428	130
1	231	429	47
1	231	430	35
1	231	431	36
1	231	432	47
1	231	433	116
1	231	434	44
1	231	435	45

1	231	438	25
1	231	439	52
1	231	440	57
1	231	441	36
1	231	442	43
1	231	443	44
1	231	444	64
1	231	446	33
1	231	447	123
1	231	448	37
1	231	449	34
1	231	450	45
1	231	451	57
1	231	452	57
1	231	453	51
1	231	455	173
1	231	456	48
1	231	458	32
1	231	459	15
1	231	460	25
1	231	461	87
1	231	462	79
1	231	463	42
1	231	464	29
1	231	465	61
1	231	467	43
1	231	468	94
1	231	469	24
1	231	470	261
1	231	471	263
1	231	472	72
1	231	473	45
1	231	474	24

1	231	475	28
1	231	476	24
1	231	477	27
1	231	478	25
1	231	480	82
1	231	481	79
1	231	482	140
1	231	483	125
1	231	484	58
1	231	485	58
1	231	486	140
1	231	487	86
1	231	488	78
1	231	489	78
1	231	490	84
1	231	491	116
1	231	492	143
1	231	493	65
1	231	494	70
1	231	495	100
1	231	496	70
1	231	498	116
1	231	499	78
1	231	500	90
1	231	501	43
1	231	502	43
1	231	503	41
1	231	504	90
1	231	505	106
1	231	506	46
1	231	507	32
1	231	508	25
1	231	510	60

1	231	511	58
1	231	512	7
1	231	513	25
1	231	514	23
1	231	516	80
1	231	518	57
1	231	519	17
1	231	520	17
1	231	522	54
1	231	523	79
1	231	524	130
2	231	526	185
2	231	527	197
2	231	528	254
2	231	530	65
2	231	532	143
2	231	533	90
2	231	534	75
2	231	535	55
2	231	536	61
2	231	537	148
2	231	538	85
2	231	539	95
2	231	540	155
2	231	541	62
2	231	543	39
2	231	544	63
2	231	545	70
2	231	546	50
2	231	547	89
2	231	548	64
2	231	549	34
2	231	550	58

2	231	551	90
2	231	552	87
2	231	553	89
2	231	554	84
2	231	555	36
2	231	556	45
2	231	557	39
2	231	558	63
2	231	559	85
2	231	560	73
2	231	561	67
2	231	562	71
2	231	563	52
2	231	565	5
2	231	566	70
2	231	567	62
2	231	568	61
2	231	570	9
2	231	571	173
2	231	572	43
2	231	573	93
2	231	574	94
2	231	575	85
2	231	576	42
2	231	577	40
2	231	578	85
2	231	579	106
2	231	580	125
2	231	581	48
2	231	582	53
2	231	583	73
2	231	584	68
2	231	585	76

2	231	586	106
2	231	587	140
2	231	588	74
2	231	589	58
2	231	590	47
2	231	591	47
2	231	592	65
2	231	593	67
2	231	594	24
2	231	598	270
2	231	599	54
2	231	600	125
2	231	601	135
2	231	602	303
2	231	603	156
2	231	605	105
2	231	606	49
2	231	607	142
2	231	609	85
2	231	610	21
2	231	611	41
2	231	612	136
2	231	613	96
2	231	614	94
2	231	617	54
2	231	618	40
2	231	619	274
2	231	620	15
2	231	621	56
2	231	622	89
2	231	623	147
2	231	625	122
2	231	626	55

2	231	627	62
2	231	628	67
2	231	629	76
2	231	630	167
2	231	631	104
2	231	632	87
2	231	633	123
2	231	634	17
2	231	635	18
2	231	637	60
2	231	639	32
2	231	640	30
2	231	641	84
2	231	642	85
2	231	644	22
2	231	645	91
2	231	646	148
2	231	647	101
2	231	648	67
2	231	650	120
2	231	651	68
2	231	652	43
2	231	359/ 684	23
2	231	652/ 685	10
2	231	146/686	87
3	3	656	18
3	3	657	265
3	3	658	17
3	3	659	16
3	3	660	15
3	3	661	18
3	3	662	8
3	3	663	6

3	3	664	35
3	3	665	9
3	3	666	17
3	3	667	36
3	3	668	8
4	478/6	673	28
4	478/6	674	26
4	478/6	675	21
4	478/6	676	15
4	478/6	677	13
4	478/6	678	13
4	478/6	679	14
4	478/6	680	22
1	231	337/ 683	32
4	478/7	671	4
		621	45200

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2
120	मकान—2
133	मकान—2
178	मकान
161	मकान—3, गोबर गैस—2
222	मकान—2
234	मकान—2
239/1	मकान
240	मकान—4
185/2	मकान—2
193/1	मकान—2

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.	मद	संपत्ति का विवरण
59	नि.चरागाह	मकान—29, पशुबाड़ा—2, डेरी—2, आश्रम—1, कुटिया—2, मंदिर—2, धर्मशाला—1, टप्पर—5, पाईपलाईन—123
60	ना.का.च.	ओटला—1,
200	नाला	मंदिर—1
209	ना.का.च.	मकान—23, टीनशेड—1, गोडाउन—1, धर्मशाला—2, सामुदायिक भवन—1, पशुबाड़ा—1

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
- (3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1—कलेक्टर जिला—खरगोन, 2—भू—अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3—कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4—महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)
कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला—खरगोन